संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली

(Balanced Monetary Liquidization System)

(विदेशी ऋण संकट, विदेशी निवेश संकट, देशी ऋण संकट, देशी निवेश संकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों का सरल, त्वरित एवं सुनिश्चित निवारण)

राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए जादू की छड़ी

(A Magic Stick For National Economic Development)

(सहस्राब्दियों का आर्थिक विकास दशकों में संभव बनानेवाली अद्‌भुत प्रणाली)

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण अपनाओ!
समस्त आर्थिक संकटों से छुटकारा पाओ!!

लेखक

श्री अरविन्द 'अंकुर'

न्यायधर्मसभा

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार (उत्तरांचल)

फोन : 01334 – 244760, मोबाइल : 09319360554

वेबसाइट : www.nyayadharmsabha.org

ईमेल : info@nyayadharmsabha.org

संतुलित
मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली

Balanced Monetary Liquidization System

वर्तमान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के शीघ्र विकास एवं समृद्धि का वरदान

A Boon to Early Development & Prosperity of Present National Economies of the World

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली द्वारा निम्न संकटों का सुनिश्चित निवारण

१. विदेशी ऋणसंकट.

(Foreign Loan Crisis)

२. विदेशी निवेशसंकट.

(Foreign Investment Crisis)

३. देशी ऋणसंकट.

(Private Loan Crisis)

४. देशी निवेशसंकट.

(Private Investment Crisis)

५. अन्य मौद्रिक संकट.

(Other Monetary Crisis)

❀❀❀

भूमिका

यह पुस्तिका हमारे द्वारा लिखित 'न्यायशील अर्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ में वर्णित ***'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली'*** ***(Balanced Monetary Liquidization System)*** *को राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से व्याख्या के रूप में लिखी गयी है। इस पुस्तिका में वर्णित 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' अन्य किसी भी वित्तीय व्यवस्था (Financial System) से श्रेष्ठ है, बल्कि यह अतुल्य है। एक सुशिक्षित, सभ्य एवं प्रबुद्ध समाज या राष्ट्र में यह मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली सहज ही अपनायी जा सकती है। संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली बिलकुल सरल, सहज, सुगम एवं निर्व्ययी है। यह प्रणाली राष्ट्र में आर्थिक विकास को सद्गति प्रदान करने में समर्थ है।*

कोई भी संप्रभु राष्ट्र (Sovereign Nation) जिसे अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार है, उसे अपनी पूँजीगत मौद्रिक आवश्यकताओं (Capital Monetary Needs) की पूर्ति के लिए किसी अन्य राष्ट्र अथवा अन्य संस्था अथवा सत्ता अथवा व्यक्ति से किसी भी प्रकार का मौद्रिक निवेश, मौद्रिक ऋण, मौद्रिक उधार, मौद्रिक सहायता आदि की याचना नहीं करनी पड़ती। मुद्रा एक काल्पनिक वस्तु (Imaginary Thing) जो संसाधनों के विकल्प (Option) के रूप में निगमित (Issue) करी जाती है। किसी भी प्राकृतिक संसाधन जिसका कोई बाजार मूल्य हो, उसे मुद्रा के द्वारा प्रतिस्थापित (Replace) किया जा सकता है। स्पष्ट है कि मुद्रा के कार्य और महत्ता (Function & Importance) को न जानने के कारण ही कोई राष्ट्र मौद्रिक अभाव से ग्रस्त होकर अपने विकास के लिए किसी बाहरी राष्ट्र अथवा सत्ता अथवा संस्था अथवा व्यक्ति पर निर्भर होने को विवश होता है। मौद्रिक परनिर्भरता (Monetary Dependency) किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए उसकी मौद्रिक नीतियों की विवेकहीनता अथवा विमूढ़ता का फल है। अशिक्षित और असभ्य समाज में जहाँ मनुष्य की मानसिक क्षमता एवं उसकी कल्पनाशीलता प्रकाशमान नहीं रहती, वहाँ पर मुद्रा की परिकल्पना भी संभव नहीं होती। मानसिक विकास के विना मनुष्यों के बीच मनी या मुद्रा का प्रचालन संभव नहीं है। जंगली क्षेत्रों में आज तक मुद्राप्रचालन संभव नहीं हो सका है। पशुओं के झुण्ड में मौद्रिक लेन–देन नहीं होता। मुद्रा समस्त स्थूल संसाधनों का विकल्प है। यह विकल्प समस्त प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाता है। मौद्रिक विकल्प के विना आर्थिक व्यवहार कठिन होने के साथ–साथ गतिहीन भी बना रहता है। प्रबुद्ध सभ्यता में इस मुद्रारूपी विकल्प का आविष्कार स्वतः हो जाता है और जैसे–जैसे मनुष्य की बुद्धिमत्ता एवं प्रतिभा बढ़ती है, वैसे–वैसे समस्त स्थूल संसाधनों का तरलीकरण मुद्रा के द्वारा होने लगता है।

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के प्रतिपादन की व्याख्या हेतु लिखित यह पुस्तिका संक्षिप्त होते हुए भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार के मौद्रिक संकटों, अभावों एवं हानियों के कारण उत्पन्न दुर्गतियों एवं दुर्दशाओं से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। इसे पढ़कर कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति यह समझ सकता है कि यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अद्वितीय एवं अद्भुत है, जो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ के समान है। यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनानेवाला राष्ट्र चन्द वर्षों में ही आर्थिक विकास के शिखर पर पहुँच कर साम्यावस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसे समृद्धि का सत्युग कह सकते हैं, तथा जो राष्ट्र को पुनः स्वर्णपक्षी बनाने में पूर्णतः सक्षम है।

इस पुस्तिका में संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के सभी पहलुओं पर दृष्टिपात किया गया है। इस प्रणाली के सभी पक्ष सकारात्मक हैं। यह प्रणाली अपने शुद्ध स्वरूप में लागू होने पर जादू की छड़ी की भाँति शीघ्र प्रभाव दिखानेवाली है। इसमें गुणों और लाभों का भण्डार छिपा हुआ है, किन्तु इसमें दोषों और हानियों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यद्यपि कुछ मूर्ख और मौद्रिक अपराध में लिप्त कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग इस निर्दोष प्रणाली के विरुद्ध निरर्थक तर्क देने की कुचेष्टा कर सकते हैं। उस पर प्रबुद्धजनों को ध्यान नहीं देना चाहिए, तथा प्रत्येक राष्ट्र के प्रबुद्धवर्ग को शीघ्रातिशीघ्र इस निर्दोष एवं न्यायशील 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' को अपने राष्ट्र में अविलम्ब लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास की धीमी गति को तीव्रता एवं सुगत्यात्मकता प्राप्त हो, तथा राष्ट्र में व्याप्त भयंकर दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, आर्थिक दासता एवं परावलम्बिता आदि के रूप में वर्तमान दुर्दशाओं का अन्त हो सके।

सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय हितों को देखते हुए यह प्रणाली शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की अनुशंसा 'लेखक' द्वारा करी जा रही है। लेखक स्वतः सुशिक्षित, अर्थशास्त्रवेत्ता, सार्वजनिक, सामाजिक एवं सार्वभौमिक हितों में विगत 2 दशकों से कार्यरत, अति महत्त्वपूर्ण 100 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक एवं कई सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के संस्थापक एवं मार्गदर्शक हैं। अतः लेखक की ओर से भारत राष्ट्र एवं विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों से अपील है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' को लागू करके अपने राष्ट्र एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी, समुन्नत एवं समृद्ध बनाएँ। अतः भारतसहित सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों को अपनी मौद्रिकनीति पर पुनर्विचार करते हुए, इस 'मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' को स्वीकार करके अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुसभ्यता, समृद्धि और विकास के मार्ग पर ले जाना चाहिए। यह प्रणाली किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को सरल, सहज एवं तीव्र बनाकर सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, तथा उसके आर्थिक विकास की समस्त संभावनाओं को साकार करके आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाती है। मौद्रिक नीति में यह साधारण संशोधन सम्पूर्ण राष्ट्र को समृद्ध, सुसभ्य, सुखी एवं धन्य बना सकता है, तथा विदेशी ऋणसंकट, विदेशी निवेशसंकट, देशी ऋणसंकट, देशी निवेशसंकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों को पूर्णतः समाप्त करके यह 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' अपनी महत्ता को सिद्ध कर सकती है, और यह सुनिश्चित रूप से शुभ परिणाम प्रस्तुत करके अपने महत्त्व को स्वयं प्रमाणित कर देगी। राष्ट्रीय सरकार इसे लागू करके देखे, यह मौद्रिक नीति चमत्कारिक परिणाम प्रस्तुत करनेवाली है।

दिनांक : 15 फरवरी, 2010 – *लेखक*

'अरविन्द अंकुर'

न्यायधर्मसभा

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार

❀❀❀

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली
(Balanced Monetary Liquidization System)

'मुद्रा' का परिचय (Introduction of Currency) :– यथार्थतः मुद्रा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए :–

1) ''राज्य की ओर से निगमित की जानेवाली धन की प्रतीकात्मक इकाई को 'मुद्रा' कहते हैं।''

2) ''शासन की ओर से निर्धारित राज्याधिकारी द्वारा जनता के बीच समस्त आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन एवं प्रतिस्थापन हेतु प्रचालित की जानेवाली धन की वैकल्पिक व्यवस्था ही 'मुद्रा' के नाम से जानी जाती है।''

3) ''वास्तव में ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष धन की इकाई को मुद्रा कहा जा सकता है, जो मुद्रा के कार्य कर सकती है।''

4) ''किन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का वह विकल्प जो उनके मूल्यांकन, विनिमयन एवं तरलीकरण का कार्य कर सके, तथा सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को संभव बना सके, वही मुद्रा है।''

5) ''किसी प्रसिद्ध धातु की एक विशेष मात्रा जैसे एक ग्राम स्वर्ण या रजत की सममूल्य मान्यता अथवा मूल्यवत्तावाली वैकल्पिक धन की इकाई को मुद्रा कहते हैं।''

मुद्रा के कार्य (Functions of Currency) :– संक्षेप में कहा जाए, तो मुद्रा के मुख्यतः तीन कार्य होते हैं– मूल्यांकन, विनिमयन, तरलीकरण। इन तीनों कार्यों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है :–

1) **मूल्यांकन** (Valuation) : वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का आँकलन ही मूल्यांकन कहलाता है, जो मुद्रा का प्रथम कार्य है। एक सर्वमान्य विशेष मूल्यवाली मुद्रा किसी भी वस्तु अथवा सेवा का मूल्यांकन कर सकती है।

2) **विनिमयन** (Exchange) : वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय–बिक्रय ही विनिमयन कहलाता है, जो मुद्रा का द्वितीय कार्य है। किन्हीं भी वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय–बिक्रय में मुद्रा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्रय–बिक्रय में मुद्रा माध्यम का कार्य करती है।

3) **तरलीकरण** (Liquidization) : स्थूल सम्पदाओं का धनराशि के रूप में रूपान्तरण ही तरलीकरण कहलाता है, जो मुद्रा का तृतीय कार्य है। किसी भी स्थूल या ठोस सम्पदा के विकल्प के रूप में मुद्रा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। मौद्रिक तरलीकरण को मुद्रा का प्रतिस्थापन कार्य भी कहा जा सकता है।

मौद्रिक तरलीकरण का परिचय (Introduction of Monetary Liquidization) :– किसी भी आर्थिक सम्पत्ति के लिए वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त होनेवाली मुद्रा उन सम्पदाओं का तरलीकरण कर सकती है। किसी भी वस्तु, सामग्री या सम्पदा के विकल्प के रूप में मुद्रा प्रयुक्त हो सकती है। मुद्रा रूपी वैकल्पिक तत्त्व के माध्यम से किसी भी संसाधन का

तरलीकरण किया जा सकता है। किसी भी ठोस या स्थूल सम्पत्ति का तरलीकरण करने के लिए उसके बाजारमूल्य के समकक्ष तक मुद्रा जारी की जा सकती है। सम्पत्ति को प्रतिभूति के रुप में स्वीकार करके उसके बाजारमूल्य के समकक्ष तक मौद्रिक राशि का निगमन राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान द्वारा सहजतापूर्वक किया जा सकता है।

मौद्रिक तरलीकरण की परिभाषा ***(Definition of Monetary Liquidization)*** *:–*
मौद्रिक तरलीकरण की एक संक्षिप्त परिभाषा इसप्रकार से दी जा सकती है–

एक सामान्य परिभाषा – ***'ठोस या स्थूल वस्तुओं एवं सम्पदाओं का धनराशि के रूप में प्रतिस्थापन ही मौद्रिक तरलीकरण कहलाता है।'***

अन्य सरल शब्दों में – ***'मौद्रिक तरलीकरण को सम्पत्तियों का मौद्रिक प्रतिस्थापन कार्य कहा जा सकता है।'***

किन्तु यह प्रतिस्थापन कार्य केवल उन्हीं सम्पत्तियों के लिए संभव है, जिनका अपना कोई बाजारमूल्य सिद्ध होता हो। बाजारमूल्य सिद्ध हुए विना किसी भी वस्तु, सामग्री या सम्पत्ति का कोई मौद्रिक तरलीकरण नहीं किया जा सकता।

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण की प्रक्रिया ***(Balanced Monetary Liquidization Process)*** *:– संतुलित मौद्रिक तरलीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में समझी जा सकती है :–*

1) *शासन की ओर से एक मौद्रिक संस्थान की स्थापना।*
2) *संस्थान द्वारा सरल मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का अवलम्बन।*
3) *सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा मौद्रिक तरलीकरण हेतु आवेदन।*
4) *आवेदकों द्वारा वांछित मुद्रा के समकक्ष बाजारमूल्य वाली सम्पदाओं की प्रतिभूति का प्रस्तुतिकरण।*
5) *मौद्रिक संस्थान द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति के बाजारमूल्य के समकक्ष तक मौद्रिक तरलीकरण।*
6) *मौद्रिक संस्थान द्वारा मौद्रिक तरलीकरण हेतु क्रेडिट–डेबिट युक्त द्विपक्षीय विवरण वाली पंजिका का प्रावधान।*
7) *मौद्रिक तरलीकरण के रूप में जारी की जानेवाली राशियों की डेबिटपक्ष में प्रविष्टि, तथा प्राप्त की जानेवाली प्रतिभूति की क्रेडिटपक्ष में प्रविष्टि।*
8) *वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिभूति का बाजारमूल्य घटने पर घटी हुई राशि की वसूली हेतु किश्तों का निर्धारण।*
9) *मौद्रिक तरलीकरण के रूप में जारी की गई राशि की साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक किश्तों द्वारा वापसी का प्रावधान।*
10) *मौद्रिक तरलीकरण प्रत्याभूत होने के कारण तरलीकृत राशि पर किसी भी प्रकार के व्याज के लेन–देन का पूर्णतः निषेध।*
11) *तरलीकृत राशि संसाधनरूप में होने के कारण उस पर सरकारी टैक्स या राजस्व के आरोपण का पूर्णतः निषेध।*
12) *मौद्रिक तरलीकरण सार्वजनिक राजकीय सेवा होने के कारण उस पर शुल्क के प्रावधानों का पूर्णतः निषेध।*

13) राजकीय मौद्रिक संस्थान द्वारा मौद्रिक तरलीकरण की प्रक्रिया किसी भी प्रकार के व्याज, टैक्स एवं शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था, निःशुल्क सेवा के रूप में उसका संचालन तथा संचालन व्यय का राजकोष द्वारा संवहन।

14) तरलीकृत राशि की पूर्ण वसूली हो जाने पर प्रातिभूतिक दस्तावेजों की वापसी एवं प्रत्याभूत सम्पदा की उन्मुक्ति।

15) उन्मुक्त सम्पत्ति को पुनः प्रत्याभूत करके मौद्रिक तरलीकरण की व्यवस्था।

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली की विशेषताएँ *(Characteristics of Balanced Monetary Liquidization System) :– संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–*

*1) **सरलता** (Easiness) : संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली बिलकुल सरल एवं सहज होती है, जिसमें सरलता एवं सहजता का गुण न हो, वह प्रणाली कभी न्यायशील नहीं हो सकती। इस न्यायशील प्रणाली के अन्तर्गत सरलतापूर्वक कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपनी सम्पत्ति के बाजारमूल्य तक तरलीकृत राशि प्राप्त कर सकता है, तथा जैसे–जैसे प्रत्याभूत सम्पत्ति का बाजारमूल्य क्षीण हो अथवा क्षीण होने की संभावना हो, वैसे–वैसे उस तरलीकृत राशि को वापस कर सकता है।*

*2) **सुलभता** (Availability) : संतुलित मौद्रिक प्रणाली की तीसरी विशेषता यह है कि मौद्रिक तरलीकरण किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के लिए यह सुलभ होती है। सुलभता को ही इसका तीसरा लक्षण जानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जब चाहे, तब अपनी धारित सम्पत्ति का तरलीकरण त्वरित रूप से करा सके, तभी मौद्रिक तरलीकरण की न्यायशीलता सिद्ध हो सकती है। किसी के लिए भी इसकी दुर्लभता न हो, इस पर कोई नियमों, नीतियों, निर्णयों की बाधाएँ न खड़ी की गयी हों, तभी मौद्रिक तरलीकरण सर्वसुलभ हो सकता है। संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली में ये बाधाएँ नहीं होतीं, अतः तरलीकरण सबके लिए सदैव सुलभ बना रहता है।*

*3) **स्वावलम्बिता** (Independence) : इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था चाहे वह निजी हो अथवा सरकारी, उसे अपने स्वामित्व वाली ठोस या स्थूल सम्पदाओं को तरलीकृत कराने की सुविधा होती है। वह जिस–जिस सम्पत्ति को चाहे, उस–उस सम्पत्ति का तरलीकरण कराने को स्वतन्त्र है। अतः उसे मौद्रिक दृष्टि से स्वावलम्बिता प्राप्त हो जाती है। वह अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर हो जाता है, तथा उसे परावलम्बी नहीं होना पड़ता।*

*4) **दिव्यता** (Divinity) : यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण की नीति दिव्य है। इसे एक प्रकार की चमत्कारी जादू की छड़ी कह सकते हैं। यह वास्तव में पलक झपकते धन का भण्डार लगाने में समर्थ है। यह किसी भी राष्ट्र को तुरन्त समृद्ध बनाने और उसे चन्द वर्षों में ही आर्थिक रूप से पूर्ण विकसित करने में पूर्ण सक्षम है।*

मौद्रिक तरलीकरण पद्धति ***(Monetary Liquidization Method)*** *:– मौद्रिक तरलीकरण केवल सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा ही की जानी चाहिए, जिससे कि समाज या राष्ट्र में व्याजखोरी की दूषित प्रथा को जन्म लेने का अवसर प्राप्त न हो। मुद्रा पर व्याज की प्रथा बड़े भयंकर परिणाम प्रस्तुत करनेवाली होती है। इसके लिए सरकार को एक विशेष मौद्रिक संस्थान की स्थापना करनी चाहिए, जिसे केन्द्रीय बैंक, रिजर्वबैंक या राजकीय अधिकोषालय के नाम से जाना जा सकता है। किसी भी ठोस या स्थूल सम्पत्ति जिसका कोई बाजारमूल्य सिद्ध हो सके, उसका तरलीकरण किया जा सकता है। अर्थात् क्रय–बिक्रय योग्य सभी वस्तुओं या सम्पत्तियों का तरलीकरण संभव है। बाजार में किसी वस्तु को जितने मूल्य पर क्रय–बिक्रय किया जा सकता है, वही उस वस्तु का बाजारमूल्य कहलाता है। यह तरलीकरण उसके बाजारमूल्य के समकक्ष तक स्वीकृत हो सकता है।*

मौद्रिक तरलीकरण के रूप ***(Mode of Monetary Liquidization)*** *:– मौद्रिक तरलीकरण के निम्नलिखित तीन रूप हो सकते हैं :–*

1) ***सममूल्य तरलीकरण*** ***(Equal Value Liquidization) :*** *सममूल्य तरलीकरण से अभिप्राय उस मौद्रिक तरलीकरण से है, जिसमें किसी मौद्रिक संस्थान द्वारा अपने लेखाधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत सम्पत्ति के सममूल्य तक तरलीकरण की राशि सुलभ करायी जाती है। प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सम्पत्ति का मूल्यांकन उस सम्पदा के बाजारमूल्य के आधार पर किया जाता है। सम्पत्ति के सममूल्य तक किया जानेवाला तरलीकरण ही आदर्श मौद्रिक तरलीकरण है, जिसमें मुद्रासंकुचन अथवा मुद्रास्फीति की आशंका नहीं रहती। आर्थिक संतुलन में ही राष्ट्र की समृद्ध एवं सुखद अवस्था प्रकट होती है।*

2) ***न्यूनमूल्य तरलीकरण*** ***(Lower Value Liquidization) :*** *न्यूनमूल्य तरलीकरण से अभिप्राय उस मौद्रिक तरलीकरण से है, जिसमें कोई मौद्रिक संस्थान अपने लेखाधारकों को द्वारा प्रस्तुत सम्पत्ति के वास्तविक बाजारमूल्य से किसी न्यून मूल्य के लिए ही तरलीकरण किया जाता है। न्यूनमूल्य तरलीकरण की नीति अपनाने पर बाजार में मुद्रासंकुचन की आशंका उत्पन्न होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटने लगता है। इसे ही बाजार में सस्ताई कहा जाता है। इससे बाजार में आर्थिक संतुलन स्थिर नहीं रह पाता। आर्थिक संतुलन बिगड़ने से समाज की समृद्धि एवं सुख में गिरावट आती है।*

3) ***अधिमूल्य तरलीकरण*** ***(Excess Value Liquidization) :*** *अधिमूल्य तरलीकरण से अभिप्राय उस मौद्रिक तरलीकरण से है, जिसमें कोई मौद्रिक संस्थान अपने लेखाधारकों द्वारा प्रस्तुत सम्पत्ति के वास्तविक बाजारमूल्य से अधिक राशि के लिए तरलीकरण किया जाता है। अधिमूल्य तरलीकरण की नीति अपनाने पर बाजार में मुद्रास्फीति की आशंका उत्पन्न होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य घटने लगता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगता है। इससे बाजार में आर्थिक संतुलन स्थिर नहीं रह पाता। आर्थिक संतुलन बिगड़ने से समाज की समृद्धि एवं सुख में गिरावट आती है।*

मौद्रिक तरलीकरण हेतु प्रस्तुत सम्पत्ति का मूल्यांकन ***(Valuation of Property Proposed for Monetary Liquidization)*** *:– किसी भी स्थूल या ठोस सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजार में उस सम्पत्ति या उसके जैसी किसी अन्य सम्पत्ति के उस मूल्य से है, जिस मूल्य पर वह खुले बाजार की विनिमय प्रक्रिया द्वारा क्रय–बिक्रय की वार्ता (Bargaining) के आधार पर क्रीत या बिक्रीत करी (खरीदी या बेची) जा सकती है। यही उस सम्पत्ति का साधारण मूल्य माना जा सकता है। इस साधारण मूल्य में संभावित ह्रास की राशि को घटाकर तरलीकरण मूल्य की गणना करी जा सकती है। इस तरलीकरण मूल्य पर ही राजकीय मौद्रिक संस्थान द्वारा तरलीकरण स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि यदि प्रस्तुत सम्पदा समय के साथ निरन्तर ह्रास की प्रवृत्ति वाली है, तो प्रतिवर्ष या प्रतिमास की दर से होनेवाले औसत मूल्यह्रास की राशि को तरलीकृत धन की वापसी हेतु किश्तों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिससे कि मुद्रास्फीति की समस्या से बचा जा सके, और राजकीय मौद्रिक संस्थान को हानि से बचाया जा सके।*

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का महत्त्व ***(Importance of Balanced Monetary Liquidization System)*** *:– संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से भलीभाँति समझा जा सकता है :–*

1) ***पूँजीसृजन में सहायक*** ***(Helpful to Capital Creation) :*** *किसी भी उत्पादन के लिए मौद्रिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। मौद्रिक पूँजी का विनियोग किए विना उत्पादन की प्रक्रिया असंभव अथवा धीमी होती है। लोगों के पास स्थूल सम्पत्ति विशालमात्रा में होते हुए भी वह उत्पादनव्यवहार में उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाती, जब तक कि उसे मौद्रिक रूप में तरलीकृत न किया जाए। एक संतुलित मौद्रिक तरलीकरण की सर्वसुलभ प्रक्रिया द्वारा सब प्रकार की स्थूल सम्पदाओं को उनके बाजारमूल्य तक तरलीकृत करके मौद्रिक पूँजी का सृजन किया जा सकता है, जो किसी उद्यम में विनियोग किए जाने पर आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक होती है।*

2) ***आर्थिक विकास की रीढ़*** ***(Backbone of Economic Development) :*** *यह 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रीढ़ के समान महत्त्वपूर्ण है। सहजता, सुलभता, स्वावलम्बिता एवं दिव्यता ही न्यायशीलता का लक्षण है। अतः एक सरल, सुलभ, स्वावलम्बी एवं दिव्य मौद्रिक तरलीकरण सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तथा उसके विकास का पथ प्रशस्त करता है। जितनी तीव्र गति से यह मौद्रिक तरलीकरण प्रक्रिया चलती है, उतनी तीव्रगति से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। मौद्रिक तरलीकरण मुद्रा की माँग और पूर्ति की क्रियाओं पर निर्भर करती है। यह माँग और पूर्ति की क्रिया जितनी तीव्र होती है, उतना तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है। मौद्रिक माँग की क्रिया को तीव्र बनाने के लिए मनुष्य के मानसिक विकास एवं कर्मकौशल की वृद्धि आवश्यक होती है। इसके लिए पर्याप्त शिक्षा–प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य करनी होती है, तथा मौद्रिक तरलीकरण को न्यायशील बनाकर मुद्रा की पूर्ति को गतिशील बनाया जा सकता है।*

3) ***जीविकासृजन में सहायक* (Helpful to Employment Creation) :** *यह 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' जीविकासृजन में भी सहायक है, क्योंकि यह जीविका अथवा रोजगार के संसाधनों एवं अवसरों की वृद्धि करती है। सरल, सहज, स्वतन्त्र एवं सर्वसुलभ मौद्रिक तरलीकरण की यह न्यायशील प्रणाली अनेक प्रकार के उद्यमों की स्थापना में सहायक है। इससे जीविकोपार्जन अथवा रोजगार के अनन्त अवसर उत्पन्न होते हैं, और अनाजीविका अथवा बेरोजगारी की भयंकरता समाप्त होती है।*

4) ***दरिद्रता के उन्मूलन में सहायक* (Helpful to Poverty Removal) :** *'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' दरिद्रता के उन्मूलन में भी सहायक है। तरलीकरण के द्वारा लोग अपने मकान, जमीन, मूल्यवान धातुओं आदि ठोस या स्थूल सम्पदाओं का तरलीकरण करके अपने लिए जीविकोपार्जन या धनोपार्जन के संसाधनों का विकास कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, और समाज से दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी एवं अभावग्रस्तता का अन्त होता है।*

5) ***आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव* (Base of Economical Independence) :** *'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' किसी भी राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए नींव की भाँति कार्य करती है। यह राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाती है। आर्थिक जगत् का मूल आधार यह मुद्रा ही है। सरल, स्वतन्त्र, सर्वसुलभ एवं संतुलित मौद्रिक तरलीकरण राष्ट्र की समस्त पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कभी मौद्रिक पूँजी का अभाव उत्पन्न नहीं होता, जिसकी पूर्ति के लिए बाह्य सत्ताओं की शरण लेनी पड़े और वे बाह्य सत्ताधीश इस शरणापन्न राष्ट्र को अधीन बनाकर उसे दासता की हथकड़ियों–बेड़ियों में जकड़ सके। अतः यह मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनी न्यायशीलता के कारण राष्ट्र को वांछित मौद्रिक पूँजी सरलतापूर्वक सुलभ कराके उसे स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।*

6) ***राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा* (Protection of National Pride) :** *कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से परावलम्बी होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता। अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो राष्ट्र बाह्य ऋण अथवा निवेश पर आश्रित होता है, वह उन देशी–विदेशी सत्ताओं के अन्यायकारी नियमों, नीतियों, निर्णयों अथवा शर्तों, आदेशों, निदेशों, उपदेशों, आज्ञाओं को सुनने–मानने एवं तदनुकूल आचार–व्यवहार करने को विवश होता है। ऐसी बाह्य सत्ताएँ चाहे देशी हों या विदेशी, दोनों ही समान रूप से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं उसकी अस्मिता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। प्राचीन कहावत प्रसिद्ध है–**'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।'** स्वावलम्बिता के विना स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रह सकता। संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे राष्ट्र का अस्तित्व एवं अस्मिता सुरक्षित रहती है, तथा उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाली परिस्थितियों का जन्म नहीं होता।*

7) न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था लागू करने में सहायक (Helpful to implementation of Just Triangular Economy) : *यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र में न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था को प्रतिष्ठित करने में सहायक है। त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से है, जो वास्तविक एवं न्यायशील है। न्यायशील अर्थशास्त्र की दृष्टि से उत्पादन के केवल तीन साधन होते हैं– श्रम, पूँजी, सुविधा। अतः किसी भी उत्पादन पर केवल तीन स्वामी सिद्ध होते हैं– श्रमिक, पूँजीपति, सरकार। तदनुसार उत्पादन लागत एवं लाभ का त्रिकोणीय विभाजन ही न्यायशील अर्थव्यवस्था का लक्षण है। इस न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन हमारे द्वारा 'न्यायशील अर्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ में विस्तृत रूप से किया गया है। ऐसी न्यायशील त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा किसी भी राष्ट्र में उपरोक्त न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाकर बड़ी सहजतापूर्वक करी जा सकती है। मौद्रिक पूँजी की स्वावलम्बिता के कारण पूँजीपतियों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है, तथा सरल पूँजीविनियोग के कारण उद्यमों की स्थापना सरल हो जाती है, क्योंकि श्रम और सुविधाएँ तो सदैव सहज ही सुलभ रहती हैं। उद्यम स्थापना की मूल समस्या तो केवल पूँजीगत होती है, जो संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के द्वारा समाधान को प्राप्त हो जाती है।*

8) पूँजीवाद की समाप्ति में सहायक (Helpful to Remove Capitalism) : *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूँजी पर जिसका कब्जा हो जाता है, वह सरकार और श्रमिकवर्ग को अपना दास बनाने में समर्थ हो जाता है। अतः शक्ति का यह भयंकर केन्द्रीकरण सदैव हानिकारक होता है। मूर्खता या धूर्तता के वशीभूत होकर मौद्रिक तरलीकरण की न्यायशील प्रक्रिया उपेक्षित होने के कारण मौद्रिक पूँजी का अभाव किसी भी राष्ट्र में उत्पन्न हो सकता है। मौद्रिक पूँजी की दुर्लभता के कारण ही पूँजी का महत्त्व बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पूँजीपतियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। पूँजी की दुर्लभता से उत्पादन कार्य प्रभावित होता है, जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पतित एवं कुंठित होकर भयंकर दरिद्रता से ग्रस्त हो जाती है। वास्तव में अब पूँजी ही इस जगत् का मूलाधार बनी हुई है। कहावत प्रसिद्ध है–* ***'दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया।'*** *पूँजी जिसके पास एकत्रित हो जाती है, सब कुछ उसी के अधीन हो जाता है। अतः मौद्रिक पूँजी की स्वतन्त्रता ही वास्तविक स्वतन्त्रता है। पूँजी का आधार मुद्रा है। स्वतन्त्र एवं संतुलित मौद्रिक तरलीकरण की नीति पूँजी को सर्वसुलभ बनाकर पूँजी के केन्द्रीकरण को समाप्त करती है। पूँजी के महत्त्व को इस एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि* ***'एक साधारण पूँजीपति भामाशाह किसी महाराजा राणाप्रताप के छिने हुए राज्य को पुनर्प्रतिष्ठित करने में समर्थ होता है।'*** *अतः पूँजी की सर्वसुलभता के द्वारा ही न्यायशील अर्थव्यवस्था प्रतिष्ठित हो सकती है, अन्यथा केन्द्रीकृत पूँजी की शक्ति बड़े–बड़े राज्यों को भी अपनी मुठ्ठी में कर लेती है। वास्तव में राष्ट्रों पर कब्जा करनेवाले सभी प्रकार के 'वाद' केवल 'पूँजीवाद' ही होते हैं, चाहे वह राज्यवाद हो, श्रमवाद हो अथवा मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो, माओवाद हो, लोहियावाद हो, नेहरूवाद*

हो या उत्पादन के त्रिकोणीय सिद्धान्त की उपेक्षा करनेवाला अन्य कोई भी एकांगी वाद हो। सबका एक ही उद्देश्य होता है– पूँजी हथियाना और उसके द्वारा सारी दुनिया को खरीदकर अपना दास बनाना। मौद्रिक शक्ति ही इस संसार की नियामक शक्ति है; हथियार, गोला, बारूद भी सब उसके अधीन हो जाते हैं। अतः इस पूँजी की शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के लाभ ***(Advantages of Balanced Monetary Liquidization)*** *:– अपनी स्थूल सम्पत्तियों द्वारा तरलीकरण प्राप्त करनेवालों को इस प्रणाली से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं :–*

1) ***ऋण पर चुकाए जानेवाले व्याज एवं लाभांश की बचत :*** *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के द्वारा मौद्रिक पूँजी सरल, स्वतन्त्र एवं सुलभ होने के कारण किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को व्याजयुक्त देशी या विदेशी ऋण नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वे अपनी स्थूल सम्पत्तियों के तरलीकरण द्वारा ही आवश्यक पूँजी प्राप्त कर लेते हैं। अतः पूँजी के रूप में लिए जानेवाले ऋणों पर व्याज या लाभांश के भुगतान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। व्याजयुक्त ऋण सदैव हानिकारक होता है। व्याज के रूप में चुकायी गयी धनराशि वास्तव में श्रम द्वारा उपार्जित राशि का अपहरण है। इसप्रकार होनेवाले श्रम के शोषण की समस्या भी समाप्त हो जाती है। ऋणों के लिए व्याज के रूप में चुकायी जानेवाली धनराशि की बचत से उद्यम में लाभ की वृद्धि होती है।*

2) ***निवेश पर चुकाए जानेवाले लाभांश की बचत :*** *देशी या विदेशी पूँजी के निवेश से चलने वाले उद्यम पर उस देशी या विदेशी पूँजी का स्वामित्व प्रतिष्ठित हो जाता है, जिससे उस उद्यम पर होनेवाला लाभ उन पूँजीपतियों के हाथों में चला जाता है। इसप्रकार से बड़ी–बड़ी पूँजी विनिवेश के द्वारा उन्हें कोई श्रम किए विना ही बड़े–बड़े लाभ प्राप्त होते हैं और वह पूँजी में पुनः रूपान्तरित होकर उनके स्वत्वाधिकार को बढ़ाते हैं, जिससे पूँजी की शक्ति का केन्द्रीकरण होने लगता है। इस केन्द्रीकरण को रोकने के लिए मौद्रिक तरलीकरण की सरल, स्वतन्त्र एवं सर्वसुलभ प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होती है, जो जन–जन को उनकी स्थूल या ठोस सम्पदाओं पर तरलीकरण के द्वारा मौद्रिक पूँजी उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पूँजी की माँग में गिरावट आती है और सस्ती पूँजी सुलभ होने लगती है, अथवा लोग अपनी पूँजी का विनियोग करके स्वतः उद्यम चलाकर लाभोपार्जन हेतु श्रमशील होते हैं।*

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के प्रभाव (Effects of Balanced Monetary Liquidization) :–

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के दो प्रभाव हो सकते हैं– प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। समाज या राष्ट्र पर पड़नेवाले इन दोनों प्रभावों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है :–

क) संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के प्रत्यक्ष प्रभाव (Direct Effects) : *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण अपनाने से समाज या राष्ट्र के आर्थिक व्यवहारों पर निम्नलिखित प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है :–*

1) ***विदेशी ऋणसंकट से मुक्ति (Freedom from Foreign Loan Crisis) :*** *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली लागू होने पर किसी भी संप्रभु राष्ट्र जिसे अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार है, उसे विदेशी ऋण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बल्कि वह अपने स्वामित्व वाली ऐसी सभी स्थूल या ठोस सम्पदाओं का मौद्रिक तरलीकरण कर सकता है। जिन सम्पदाओं का कोई बाजारमूल्य सिद्ध हो सके, वे सभी तरलीकरण के योग्य होती हैं। राष्ट्रीय सरकारों के स्वामित्व में अनेक प्रकार की मूल्यवान राष्ट्रीय सम्पदाएँ होती हैं। अतः उनके प्रतिस्थापन मूल्य के समकक्ष मौद्रिक तरलीकरण सुलभ हो सकता है। सरकार अपने राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान से यह मौद्रिक तरलीकरण सरलतापूर्वक अपनी मूल्यवान सम्पदाओं को प्रत्याभूत करके प्राप्त कर सकती है, जैसे– किसी पुल के निर्माण हेतु धन की आवश्यकता होने पर किसी भी अन्य मूल्यवान सम्पत्ति को प्रत्याभूत करके पुलनिर्माण हेतु आवश्यक राशि प्राप्त करी जा सकती है, तथा उस पुल के द्वारा टोलटैक्स आदि के रूप में होने वाली आय से उस प्राप्त करी गयी तरलीकृत धनराशि को वापस चुकाकर प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुक्त किया जा सकता है, अथवा निर्मित होने वाले पुल को ही प्रत्याभूत करके तरल धनराशि प्राप्त की जा सकती है, तथा पुल से होनेवाली आय के द्वारा उसकी किश्तों का भुगतान किया जा सकता है।*

2) ***विदेशी निवेशसंकट से मुक्ति (Freedom from Foreign Investment Crisis) :*** *पूँजी के अभाव में किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों या विदेशों से निवेश करने का आग्रह किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहते हैं। वास्तव में किसी संप्रभु राष्ट्र जिसे स्वयं अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार है, उसे किसी बाहरी पूँजीपति से निवेश की याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह अपने स्वामित्व वाली स्थूल या ठोस सम्पदाओं को प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करके राजकीय मौद्रिक संस्थान (केन्द्रीय बैंक आदि) से पर्याप्त मात्रा में तरल धनराशि प्राप्त कर सकता है, तथा उसे लाभोपार्जक उद्यमों में लगाकर उससे प्राप्त होनेवाली आय के द्वारा किश्तों के रूप में धन वापस करके प्रत्याभूत सम्पदा को मुक्त भी कराया जा सकता है। प्राप्त किए गए तरलीकरण को लाभकारी विनिवेश के द्वारा उपार्जित आय से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसप्रकार से प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुक्त कराके पुनः आवश्यकता पड़ने पर तरलीकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।*

3) ***देशीऋणसंकट से मुक्ति (Freedom from Civil Loan Crisis) :*** *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली लागू होने पर जिसप्रकार से किसी संप्रभु राष्ट्र जिसे स्वयं की मुद्रा जारी करने का अधिकार है, को विदेशी ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती; उसीप्रकार से देश के पूँजीपतियों से भी ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः सरकार को देशी या विदेशी किसी भी ऋण से छुटकारा दिलाने में यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली समर्थ है। जनता को भी दूसरों से ऋण लेने की आवश्यकता तभी होगी, जबकि उनके पास तरलीकृत किए जानेयोग्य अपनी कोई मूल्यवान स्थूल सम्पत्ति न हो।*

4) ***देशीविवेशसंकट से मुक्ति (Freedom from Civil Investment Crisis) :*** *राजकीय उद्यमों में सरकार को जनता से निवेश कराने की आवश्यकता केवल तभी तक हो सकती है, जब तक कि वह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली नहीं अपनाती। अन्यथा मौद्रिक पूँजी के अभाव को यह प्रणाली पूर्णतः समाप्त करने में सक्षम है। सरकारी उद्यमों में जनता की पूँजी का निवेश कराने की आवश्यकता बिलकुल नहीं होती, क्योंकि सरकार के पास मौद्रिक पूँजी का अभाव कभी नहीं होता। न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण की प्रणाली के प्रभाव से उतनी सीमा तक तरल धनराशि प्राप्त करी जा सकती है, जितना कि सरकार के स्वामित्व में स्थित सम्पत्तियों का बाजारमूल्य हो।*

ख) संतुलित मौद्रिक तरलीकरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव (Indirect Effects) : *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण अपनाने से समाज या राष्ट्र के आर्थिक व्यवहारों पर निम्नलिखित अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं :–*

1) ***पूँजी के अभाव से मुक्ति :*** *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनानेवाले राष्ट्र में पूँजी का अभाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सरकार एवं जनता के पास जो कुछ भी स्थूल या ठोस सम्पदाएँ हैं, उन सबका तरलीकरण उन सम्पदाओं के बाजारमूल्य तक किया जा सकता है। अतः आवश्यकतानुसार जिस समय जितनी मौद्रिक पूँजी की आवश्यकता हो, उतनी पूँजी तुरन्त सुलभ होने के कारण पूँजी के अभाव की कोई समस्या सामने नहीं आती।*

2) ***बेरोजगारी पर नियन्त्रण :*** *मौद्रिक तरलीकरण सहज, स्वतन्त्र एवं सुलभ होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल के अनुरूप उद्यम स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौद्रिक पूँजी प्राप्त कर सकता है, यदि उसके पास भूमि, भवन, यन्त्र, उपकरण, उपस्कर, आभूषण, मूल्यवान धातु या वस्तु आदि कोई भी मूल्यवान स्थूल सम्पत्ति विद्यमान हो। स्पष्ट है कि बेरोजगारी से छुटकारा पाने में भी यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली सहायता करती है। बेरोजगारी पर इस प्रणाली का सीधा एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः बेरोजगारी को नियन्त्रित करने में यह प्रणाली महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।*

3) **दरिद्रता पर नियन्त्रण :** *यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली दरिद्रता या गरीबी को नियन्त्रित करने में समर्थ है। कृषि, वाणिज्य, राज्य आदि किसी भी कार्य अथवा उद्यम के लिए मौद्रिक पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति करने में यह प्रणाली निश्चित रूप से कारगर सिद्ध हो सकती है। पूँजी द्वारा उद्यमों की स्थापना से आर्थिक आय उपार्जित होती है और आर्थिक आय की वृद्धि से दरिद्रता पर नियन्त्रण प्राप्त होता है। कार्यशील, उद्यमशील व्यक्तियों या संस्थाओं को दरिद्रता से बचाने में यह प्रणाली पूर्णतः समर्थ है।*

4) **दासता से मुक्ति में सहायक :** *गुण से धन, धन से सुख, सुख से स्वस्ति प्राप्त होती है। स्वस्ति को ही स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, स्वराज्य, स्वावलम्बन आदि के नाम से जाना जाता है। स्वतन्त्रता की सुलभता के तीनों साधन दुर्लभ होने पर दासता उत्पन्न होती है। अत्यधिक ज्ञान, गुण, कौशल होते हुए भी यदि मौद्रिक सत्ता केन्द्रीकृत हो, तो बड़े–बड़े ज्ञानी, गुणवान एवं कुशल व्यक्ति भी दासता को प्राप्त हो जाते हैं। गुण से धन उत्पन्न होता है, किन्तु यह धन जिसके पास केन्द्रीभूत होता है, गुणवान व्यक्ति उसकी अधीनता स्वीकार करने को विवश हो जाता है। संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली धन के प्रवाह को प्रबल एवं सर्वव्यापक बनाती है, जिससे गुणों का मूल्यांकन प्रारम्भ होता है, तथा उन्हें समुचित मूल्यवत्ता प्राप्त होती है। इसप्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार मूल्यवत्ता सर्वत्र सुलभ होने के कारण उसे किसी पूँजीपति का दास नहीं होना पड़ता।*

5) **शोषण पर नियन्त्रण :** *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली श्रमिकों को शोषण से मुक्त करती है, क्योंकि श्रमिकों द्वारा अपनी स्थूल सम्पदाओं को तरलीकृत करके स्वयं मौद्रिक पूँजी के विनियोग से अपना उद्यम लगाने का प्रयास होने लगता है। वे अपने उद्यम में श्रम एवं पूँजी दोनों साधनों के स्वामी हो सकते हैं, जिससे उनके शोषण की संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। सरकारी संस्थानों को भी बाह्य पूँजी विनियोग के कारण शोषित नहीं होना पड़ता, क्योंकि वे भी अपनी मूल्यवान सम्पदाओं को तरलीकृत करके पर्याप्त पूँजी विनिवेश स्वयं कर सकते हैं।*

6) **अर्थव्यवस्था की गतिशीलता :** *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाने वाले राष्ट्र की अर्थव्यवस्था निरन्तर गतिशील बनी रहती है, क्योंकि कोई भी स्थूल सम्पदा अनुपयोगी या अनुत्पादक नहीं रह जाती, बल्कि तरलीकरण के प्रभाव से वह दोहरी भूमिका निभाने लगती है। एक भूमिका के द्वारा वह स्वयं उत्पादन में सहयोगी बनी रहती है, तथा दूसरी भूमिका द्वारा वह तरलीकृत होकर मौद्रिक पूँजी की वृद्धि करके उद्यम के विकास में सहयोग करती है।*

7) **राजकोष की बचत एवं वृद्धि :** *देशी अथवा विदेशी किसी भी प्रकार के बाह्य ऋण अथवा निवेश के कारण कोई भी राष्ट्रीय सरकार जो व्याज या लाभांश आदि के भुगतान में राष्ट्रीय धन व्यय करती है, उससे राजकोषीय क्षति होती है। अतः संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनानेवाले राष्ट्र को निश्चित रूप से राजकोषीय बचत होती है, अथवा स्वनिवेश पर लाभ की बचत के कारण राजकोष की वृद्धि होती है।*

8) आर्थिक विकास को प्रोत्साहन : *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाने वाले राष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त होता है, क्योंकि मौद्रिक तरलता सहज एवं निर्बाध होने के कारण मौद्रिक पूँजी प्रचुर मात्रा में सुलभ रहती है। न्यायशील मौद्रिक नीति के अभाव में ही आर्थिक विकास कुण्ठित होता है, अथवा विकास की गति धीमी होती है।*

9) क्रयशक्ति का संवर्धन : *राष्ट्र में संतुलित तरलीकरण प्रणाली लागू होने पर कर्मठ नागरिकों की उपार्जनशीलता में वृद्धि होती है, क्योंकि धनोपार्जन के अवसर बढ़ जाते हैं, जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार आता है। आर्थिक आय बढ़ने के कारण उनकी क्रयशक्ति उन्नत होती है, जिससे बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मँहगी होने का कष्ट अनुभव नहीं होता।*

10) मुफ्तखोरी पर विराम : *किसी भी राष्ट्र में संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली लागू होने पर मौद्रिक पूँजी का केन्द्रीकरण समाप्त होने लगता है, अथवा केन्द्रीभूत पूँजी की मूल्यवत्ता श्रम के विना क्षीण हो जाती है, क्योंकि मौद्रिक पूँजी सरल, स्वतन्त्र एवं सर्वसुलभ होने से प्रत्येक उद्यमी को वांछित पूँजी पर्याप्त मात्रा में राजकीय अधिकोषालय अथवा केन्द्रीय मौद्रिक संस्थान से ही तरलीकरण द्वारा प्राप्त हो जाती है। अतः मकान, जमीन आदि मूल्यवान सम्पत्ति धारण करनेवालों को किसी भी पूँजीपति से पूँजी की याचना नहीं करनी पड़ती। स्वपूँजी विनियोग के द्वारा उपार्जित लाभ उन्हें स्वयं प्राप्त होता है, जिससे मुफ्तखोर पूँजीपतियों को दूसरों के श्रम का शोषण करने के अवसर समाप्त हो जाते हैं और मुफ्तखोरी पर विराम लग जाता है।*

11) एकाधिकार पर नियन्त्रण (Control on Monopoly) : *पूँजी केन्द्रीभूत हुए विना बाजार में एकाधिकार का जन्म नहीं होता। संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली पूँजी को सर्वसुलभ बना देती है, जिससे सभीप्रकार के लाभकारी उत्पादनों पर अनेक संख्या में उद्यम स्थापित होने लगते हैं। अतः बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का उदय होता है तथा वस्तुओं का बाजारमूल्य अधिक नहीं हो पाता। फलतः उपभोक्ताओं को अपनी उपभोग्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अधिक ऊँचा मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। स्पष्ट है कि पूँजी को सर्वसुलभ बनानेवाली यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली बाजार में किसी को एकाधिकार जमाने का अवसर नहीं देती।*

❁❁❁

संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली की सर्वस्वीकार्यता ***(Universal Acceptance of Balanced Monetary Liquidization System)*** *:– यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली भी सर्वस्वीकार्य है। यदि इस पर जनतमसंग्रह किया जाए, तो 75% से 99% तक लोकमत इस प्रणाली के पक्ष में प्रमाणित हो सकता है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान प्राणी इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। इसकी सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, महिमा, लाभ, प्रभाव एवं परिणामों को पढ़कर, सुनकर, समझकर कोई भी मेधावी व्यक्ति सहज ही इसे स्वीकार करने को उत्सुक हो सकता है। अतः इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को भारतसहित सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों में जनमतसंग्रह अथवा आमराय के आधार पर लागू किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र में इस पर प्रचण्ड बहुमत सिद्ध किया जा सकता है। चंद मूर्खों एवं धूर्तों को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण मानवता इसके लिए पूर्णतः सहमत सिद्ध होगी। हमें अपनी आर्थिक अथवा मौद्रिक नीति को शुद्ध करके विदेशी ऋणसंकट, विदेशी निवेशसंकट, देशी ऋणसंकट, देशी निवेशसंकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों का निवारण करना चाहिए।*

कहावत प्रसिद्ध है– ***'बुद्धिर्यस्य बलं तस्य।'*** *बुद्धि ही वास्तविक बल है, हमें जनबल, धनबल, शस्त्रबल आदि के द्वारा शासन चलाने की बर्बरयुगीन दण्डपरम्परा से बाहर निकलकर अपने बुद्धि–विवेक का सहारा लेना चाहिए तथा विवेकशील नियम, नीति, निर्णयों के द्वारा अपनी समस्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, चाहे वे आर्थिक समस्याएँ हों अथवा अन्य। संसार की कोई भी समस्या का समाधान संभव है, यदि समस्या के कारणों को जानने का सूक्ष्म सद्विवेक हमारे भीतर जागृत हो। वैसे भी हमें विवेकशील प्रतिपादनों को सहजतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे प्रमाणिक होते हैं और उनमें कोई खूनीक्रान्ति, भ्रामक आन्दोलन, निरर्थक अभियान, अशाश्वत और अनर्थकारी व्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं होता। विवेकहीन आदेशों, उपदेशों, आज्ञाओं, मार्गदर्शनों, परामर्शों, विचारों, लेखों, पुस्तकों, ग्रन्थों की मूढ़ता से ऊपर उठकर विवेकसम्पन्न ज्ञान–विज्ञान सम्मत प्रतिपादनों एवं सद्ग्रन्थों के अनुकूल आचार–व्यवहार अपनाना चाहिए, अन्यथा अन्तर्द्वन्द्व, गृहयुद्ध एवं राष्ट्रीय संघर्षों का भीषण संकट उत्पन्न हो जाता है। जो अन्ततः हमारे विनाश का कारण बनता है। अतः हमें अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संकटों एवं समस्याओं का समाधान सदैव विवेकपूर्वक करना चाहिए। ध्यान रहे कि विवेकशील प्रतिपादन सदैव सरल होते हैं। उनमें किसी प्रकार का दाँवपेंच, जटिलता, जंजाल, षड़यन्त्र का अस्तित्व नहीं रहता। विवेकशील प्रतिपादन सदैव स्पष्ट, सुग्राह्य एवं सर्वहितकारी होते हैं। वे इसीलिए सर्वस्वीकार्य भी बने रहते हैं अथवा उनकी स्वीकार्यता का लोकमत सदैव सिद्ध हो सकता है, यदि खुले रूप में मतसंग्रह किया जाए।*

❀❀❀

मौद्रिक तरलीकरण में सावधानियाँ (Precautions in Monetary Liquidization) *:–*

मौद्रिक तरलीकरण करते समय मौद्रिक संस्थान द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ वर्तनी चाहिए :–

01) *सरकार द्वारा मुद्रानिगमन कार्य इस संतुलित तरलीकरण प्रणाली के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। मुद्रानिगमन किसी रेपो–प्रतिरेपो की व्याजदरों पर आधारित न हो, जिससे मुद्राप्रचालन सदैव निर्भार बना रहे, ताकि राष्ट्र में कभी पूँजीसंकट नहीं उत्पन्न हो।*

02) *तरलीकरण के लिए किसी मूल्यवान स्थूल सम्पदा का होना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि किसी मूल्यवान सम्पदा का ही तरलीकरण किया जा सकता है। अर्थात् तरलीकरण प्रणाली प्रतिस्थापन की परिभाषा वाली बनी रहे।*

03) *तरलीकृत धनराशि उस स्थूल सम्पदा के बाजारमूल्य के समकक्ष हो, उससे न्यून या अधिक न हो। न्यून होने पर मुद्रासंकुचन एवं अधिक होने पर मुद्रास्फीति की संभावना होती है।*

04) *प्रत्याभूत सम्पदा के संभावित बाजारमूल्य में ह्रास या गिरावट की आशंका होने पर अनुमानित मूल्यह्रास के समकक्ष वार्षिक या मासिक रूप से धनवापसी की किश्तों का निर्धारण किया जाना चाहिए।*

05) *धनवापसी की किश्त का निर्धारण सम्पदा के अनुमानित मूल्यह्रास पर आधारित होता है। अतः मूल्यह्रास घटित होने से पूर्व ही धनवापसी की किश्त मौद्रिक संस्थान में ग्राहक द्वारा जमा की जानी चाहिए।*

06) *कुल तरलीकृत राशि वापस होने पर तत्सम्बन्धी प्रत्याभूत सम्पदा मुक्त मानी जाए, तथा पुनः तरलीकरण हेतु प्रस्तुत होने पर वर्तमान बाजारमूल्य के अनुरूप तरलीकरण किया जाए।*

07) *यदि किसी कारणवश तरलीकरण अत्यधिक न्यून मूल्य के लिए किया गया हो, तो सम्पदा के वर्तमान बाजारमूल्य के अनुरूप अतिरिक्त धनराशि के लिए तरलीकरण स्वीकृत किया जा सकता है।*

08) *यदि किसी कारणवश तरलीकरण सम्पदा के बाजारमूल्य से अधिक मूल्य के लिए स्वीकृत हो गया हो, तो अतिरेक धनराशि की त्वरित वापसी अथवा अतिरेक धनराशि के समकक्ष बाजारमूल्यवाली किसी अन्य सम्पदा को प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाए।*

09) *तरलीकरण सदैव निर्भार बनाए रखना ही न्यायसंगत है। उस पर किसी भी प्रकार का व्याज, टैक्स, शुल्क आदि का भार नहीं लादना चाहिए। इसके प्रचालन सम्बन्धी व्ययों को राजकोष द्वारा वहन किया जाना चाहिए।*

10) *तरलीकरण प्रक्रिया सदैव सरल, स्वतन्त्र एवं सर्वसुलभ बनाए रखना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक अथवा वैधानिक बाधाएँ न खड़ी की जाएँ।*

11) *वसूलीप्रक्रिया भी सदैव सरल, स्वतन्त्र एवं समुचित बनाए रखना चाहिए। ग्राहक की स्वेच्छा तथा सम्पत्ति के बाजारमूल्य में ह्रास या गिरावट की संभावनाओं के अनुरूप ही तरलीकृत धनराशि की वसूलीप्रक्रिया अपनाई जाए।*

वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से मौद्रिक तरलीकरण का सम्बन्ध ***(Relation of Prices of Commodities and Services with Monetary Liquidization)*** *:– मुद्रा ही वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रतिस्थापक है। मुद्रा ही वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन करने में समर्थ होने के कारण ही मुद्रा उनका प्रतिस्थापन करने में सफल होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन उनकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। जो वस्तु अथवा सेवा किसी व्यक्ति के लिए जितनी अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, वह व्यक्ति उस वस्तु अथवा सेवा के लिए उतना ही मूल्य चुकाने को तत्पर होता है। इसीलिए उपयोगिता में ह्रास और वृद्धि का स्पष्ट प्रभाव वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर पड़ता है। किसी वस्तु अथवा सेवा से जितनी संतुष्टि किसी उपभोक्ता को प्राप्त होती है, वह उतनी ही वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग करता है। उपयोगिता ह्रास अथवा उपयोगिता वृद्धि के नियम वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग को प्रभावित करते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग कम होने पर मूल्य गिर जाता है, तथा माँग बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाता है। जो वस्तु अथवा सेवा जितनी मात्रा में उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने में सक्षम होती है, उपभोक्ता उतना ही मूल्य चुकाने तत्पर होता है। अतः वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग एवं बाजार में उत्पादकों की ओर से की गयी पूर्ति ही उनके मूल्यों का वास्तविक निर्धारण करती है। माँग और पूर्ति के पारस्परिक सामंजस्य द्वारा ही वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यनिर्धारण होता है। किन्तु यह मूल्यनिर्धारण जिस माँग और पूर्ति पर आधारित है, उस माँग और पूर्ति को प्रभावित करनेवाले कुछ घटक भी हैं। माँग को प्रभावित करने वाले घटकों में मुख्यतः उपभोक्ता की 'इच्छाशक्ति' एवं 'क्रयशक्ति' होती है। क्रयशक्ति का सम्बन्ध तरलीकरण से भी हो सकता है। तरलीकरण द्वारा उपार्जनशीलता एवं आर्थिक सम्पन्नता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अधिक मूल्य देकर भी वस्तुओं को प्राप्त करने तत्पर हो जाता है। क्रयशक्ति क्षीण होने पर कम मूल्य चुकाने एवं कम वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। किन्तु मौद्रिक सुलभता अथवा उपार्जित आय की वृद्धि से वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अधिक मूल्य चुकाने की क्रयशक्ति में वृद्धि होती है, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अधिक मूल्य चुकाने और अधिक मात्रा क्रय करने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि तरलीकृत धनराशि से उपभोग्य वस्तुओं का क्रय किया जाता है, तो उपभोक्ता को हानि हो सकती है, क्योंकि वह अपनी प्रत्याभूत सम्पदा को ही समाप्त करनेवाला सिद्ध हो जाता है। अतः उपार्जित आय से किया जानेवाला उपभोग ही वास्तविक माँग को प्रभावित करती है। किन्तु तरलीकृत धनराशि उपभोक्ता की क्रयशक्ति को यथार्थतः बढ़ाने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि आगे वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय पीछे प्रत्याभूत सम्पदाओं के बिक्रय का कारण बनता है। अतः इसे वास्तविक क्रयशक्ति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग को प्रभावित कर सके। स्पष्ट है कि इस न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।*

मुद्रास्फीति एवं मुद्रासंकुचन से मौद्रिक तरलीकरण का सम्बन्ध ***(Relation of Money Inflation and Deflation with Monetary Liquidization)*** *:– मुद्रासंकुचन का अभिप्राय प्रत्याभूत सम्पदा के बाजारमूल्य से न्यून धनराशि तक मुद्रा के निगमन से है। मौद्रिक तरलीकरण के माध्यम से निगमित की गई तरलीकृत धनराशि यदि किसी सम्पदा के सामान्य बाजारमूल्य से न्यून हो, तो उसे 'मुद्रासंकुचन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसीप्रकार से यदि उस सम्पदा के सामान्य बाजारमूल्य से अधिक मात्रा में तरलीकृत धनराशि निगमित की जाए, तो उसे 'मुद्रास्फीति' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि मौद्रिक तरलीकरण केवल तभी तक संतुलित माना जा सकता है, जब तक कि वह प्रस्तुत सम्पदा के सामान्य बाजारमूल्य के समकक्ष तक ही जारी की गई हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रासंतुलन की दशा से निम्न अथवा उच्च मौद्रिक तरलीकरण किए जाने पर ही मुद्रासंकुचन अथवा मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होती है। अतः मौद्रिक तरलीकरण का सम्बन्ध मुद्रासंकुचन एवं मुद्रास्फीति के साथ होना प्रामाणिक है। किन्तु ये दोनों ही स्थितियाँ केवल तभी उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि मुद्रा जारी करने में मौद्रिक संतुलन के सिद्धान्त का उल्लंघन किया जाए।*

मौद्रिक तरलीकरण एवं मौद्रिक संतुलन का सिद्धान्त ***(Principle of Monetary Liquidization and Monetary Balance)*** *:– मौद्रिक संतुलन का अभिप्राय मुद्रानिगमन की उस दशा से है, जिसमें तरलीकृत धनराशि प्रत्याभूत सम्पदा के सामान्य बाजारमूल्य के समकक्ष हो, तथा इस सामान्य बाजारमूल्य में उतार या चढ़ाव के आधार पर तरलीकृत धनराशि में उच्चावचन संभव होता है। मौद्रिक संतुलन को बनाए रखना तत्सम्बन्धी मौद्रिक संस्थान का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि इस संतुलन के भंग होने से समाज में मुद्रासंकुचन और मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है, जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। अतः मौद्रिक संतुलन को मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का आदर्श सिद्धान्त मानना चाहिए। मौद्रिक संतुलन ही राष्ट्र के वास्तविक आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि का आधार है। मौद्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए केन्द्रीय मौद्रिक संस्थान को ही उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। मौद्रिक संतुलन का यह सिद्धान्त यदि पूर्ण निष्ठा के साथ बनाए रखा जा सके, तो संसार में कोई अवांछित आर्थिक परिस्थितियों का जन्म नहीं हो सकता, बल्कि अर्थव्यवस्था स्वतः विकसित होते हुए परम वैभव तक जा सकती है, जिससे समाज अथवा राष्ट्र में स्वर्णिम अवस्था एवं सत्युगीन आर्थिक वातावरण का उदय हो सकता है।*

❁❁❁

ऋण एवं तरलीकरण में भेद (Difference Between Loan & Liquidization) *:– जैसे ऋण एवं निवेश में भेद है, वैसे ही ऋण एवं तरलीकरण में भी निम्नलिखित भेद हैं :–*

1) *किसी प्रतिफल की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जानेवाला उधार ही 'ऋण' है, जबकि सम्पत्तियों के मूल्यों का प्रतिस्थापन ही 'तरलीकरण' है।*

2) *ऋण प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि तरलीकरण केवल प्रत्याभूत होता है। स्थूल सम्पत्ति के विना तरलीकरण संभव नहीं होता।*

3) *ऋणदाता उद्यम पर दिए जानेवाले ऋण के अनुपात में उद्यम पर स्वामित्व धारण कर सकता है, जबकि तरलीकरण संस्थान केवल प्रतिभूति पर ही स्वामित्व धारण करता है।*

4) *ऋणदाता अपने द्वारा प्रदत्त ऋणराशि की मात्रा के अनुपात में सम्बन्धित उद्यमादि पर होनेवाले लाभ या शुल्क की माँग कर सकता है, जबकि तरलीकरण संस्थान अपने सम्बद्ध उद्यमादि से कोई लाभ प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता।*

5) *ऋण पर शुल्क अथवा लाभ प्राप्ति की नीति का अधिकार ऋणदाता के लिए प्रतिपादित हो सकता है, यदि ऋण के लिए कोई प्रतिभूति के रूप में प्रत्यक्ष सम्पत्ति की माँग न की गई हो, जबकि प्रातिभूतिक तरलीकरण के लिए 'ऋण' शब्द के उपयोग की कोई सार्थकता नहीं रह जाती। तरलीकृत राशि किसी भी उद्यम में विनियोजित होने पर तरलीकरण संस्थान का उस उद्यम के लाभ–हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होता।*

6) *ऋणसेवा भी एक प्रकार का तरलीकरण है, यदि वह प्रतिभूति के बदले प्रदान की गयी हो, जबकि तरलीकरण भी एक प्रकार की ऋणसेवा ही है, यदि वह प्रतिभूति के बदले में जारी न की गई हो।*

7) *ऋणसेवा सरकारी अथवा गैरसरकारी सत्ताओं, बैंकों, कम्पनियों आदि किसी भी संस्थान द्वारा संचालित करी जा सकती है, जबकि तरलीकरण सेवा केवल सरकारी संस्थान या राजकीय अधिकोष के द्वारा ही संचालित किया जाना न्यायोचित है।*

8) *ऋणेसवा को एकप्रकार का विनियोग भी कहा जा सकता है, जबकि तरलीकरण को विनियोग के रूप में परिभाषित करना न्यायोचित नहीं सिद्ध होता।*

9) *ऋणसेवा में शुल्कवसूली अथवा लाभ में हिस्सेदारी का समावेश हो सकता है, किन्तु मौद्रिक ऋण पर भी व्याज या टैक्स आदि अपराध है, जबकि तरलीकरण सेवा पूर्णतः निःशुल्क एवं लाभ–हानि, टैक्स, व्याज आदि के भार से मुक्त होनी चाहिए।*

10) *मौद्रिक ऋणसेवा को मुद्राप्रचालन की प्रक्रिया कहा जा सकता है, जबकि मौद्रिक तरलीकरण को मुद्रानिगमन की प्रक्रिया कहा जा सकता है।*

11) *ऋण पर व्याज के स्थान पर ऋण को विनियोग की भाँति मानकर उद्यमादि के लाभ में ऋणदाता को ऋण के अनुपात में समाहित किया जाना चाहिए, जबकि तरलीकरण प्रणाली मुद्रा पर व्याज की दूषित प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर सकती है।*

12) *ऋण और निवेश में भी भेद है, किन्तु ऋण केवल लाभ को स्वीकार करता है, निवेश लाभ और हानि दोनों को स्वीकार करता है, जबकि तरलीकरण और निवेश में भेद है। तरलीकरण का किसी उद्यम के लाभ–हानि से कोई सम्बन्ध नहीं है, जबकि निवेश का उद्यम के लाभ–हानि से सम्बन्ध है।*

❁❁❁

सरकारों को परामर्श एवं निवेदन *(Advice & Request to Governments) :– भारत सहित सम्पूर्ण विश्व की समस्त राष्ट्रीय सरकारों को इस पुस्तिका के माध्यम से मंत्रणा या परामर्श के रूप में निम्नलिखित निवेदन किया जा रहा है :–*

01) *कृपया यथाशीघ्र इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को लागू करके अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएँ।*

02) *यह प्रणाली पूर्णतः तर्कसम्मत, शुद्ध एवं निर्दोष है। इसके विरुद्ध मूर्खों और धूर्तों द्वारा कुतर्क तो किए जा सकते हैं, किन्तु सुतर्कों द्वारा इसका विरोध संभव नहीं है।*

03) *अर्थशास्त्र के सात्त्विक एवं वास्तविक सिद्धान्त इस प्रणाली को अस्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि न्यायपूर्वक केवल इस प्रणाली को ही प्रशस्त किया जा सकता है।*

04) *यह प्रणाली लागू होते ही राष्ट्र के आर्थिक विकास को चरमोत्कर्ष की ओर शीघ्र ही पहुँचाने में समर्थ है, जिससे राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त कर सकता है।*

05) *यह प्रणाली निश्चित रूप से राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए जादू की छड़ी के समान है। जैसे कोई जादूगर छड़ी घुमाते ही सुन्दर–सुन्दर वस्तुएँ प्रकट कर देता है, वैसे ही इस प्रणाली के प्रभाव से राष्ट्र अतिशीघ्र स्वर्गतुल्य आर्थिक आभामण्डल को अर्जित कर सकता है।*

06) *इस मौद्रिक प्रणाली के साथ में यदि नागरिकों के लिए न्यायपूर्वक शिक्षा–प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा सके, तो सहस्राब्दियों में होनेवाले आर्थिक विकास को चन्द वर्षों में ही प्राप्त किया जा सकता है।*

07) *कृपया इस प्रणाली को अतिशीघ्र लागू करके अपने राष्ट्र को आर्थिक दासता से छुटकारा दिलाएँ। कोई भी राष्ट्र इस प्रणाली को अपनाते ही विदेशी ऋणसंकट, विदेशी निवेशसंकट, देशी ऋणसंकट, देशी निवेशसंकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों से तुरन्त छुटकारा प्राप्त कर सकता है।*

08) *कृपया अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय नागरिकों पर छाए हुए आर्थिक संकटों को शीघ्र दूर करनेवाली इस प्रणाली को अपनाकर नागरिकों की समृद्धि, सुख एवं समुन्नति के बन्द द्वारों को शीघ्र खोल दें।*

09) *इस प्रणाली के लागू होते ही न कोई राष्ट्र गरीब रहेगा, न कोई नागरिक गरीब रहेगा। सभी लोग परिश्रमपूर्वक मनोनुकूल आर्थिक प्रगति कर सकेंगे। आर्थिक प्रगति की समस्त बाधाएँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी।*

10) *कृपया अपने राष्ट्र में अनुपयोगी पड़ी हुई अथाह बाजारमूल्य वाली स्थूल सम्पदाओं का शीघ्र तरलीकरण करके राष्ट्र में व्याप्त भयंकर पूँजीसंकट को तुरन्त समाप्त करें। इसके लिए यह 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' अचूक एवं अद्‌भुत उपाय है।*

❁❁❁

वारम्वार पूछे जानेवाले प्रश्न
(Frequently Asked Questions)

प्रश्न-01 : स्थूल या ठोस सम्पत्ति को तरल कैसे बनाया जा सकता है?

उत्तर-01 : *अर्थशास्त्र की दृष्टि से मौद्रिक सत्ता को 'द्रव्य' कहा जाता है। द्रव एक 'तरल' पदार्थ है। मौद्रिक धन को 'राशि' कहते हैं। इसीलिए धनराशि को प्रवाहशील माना जाता है। एक से दूसरे हाथ में लगातार प्रवाहमान रहना ही मुद्रा का स्वभाव है। अँग्रेजी में इसीलिए मुद्रा को 'करन्सी' कहते हैं। प्रवाहमान वस्तु को 'करन्ट' कहा जाता है। तरल या द्रव्य रूपी मुद्रा वास्तव में वह धनराशि है, जो किसी भी वस्तु अथवा सेवा के बदले में प्राप्त की जाती है। अतः किसी वस्तु को प्रतिस्थापित करने में मुद्रा समर्थ होती है। स्पष्ट है कि यदि किसी स्थूल या ठोस वस्तु का प्रतिस्थापन करना हो, तो उसमें मुद्रा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा के द्वारा किसी भी स्थूल या ठोस सम्पत्ति का प्रतिस्थापन ही 'तरलीकरण' कहलाता है। इस तरलीकरण को 'द्रवीकरण' भी कहा जा सकता है। मुद्रा किसी भी वस्तु के मूल्यांकन एवं प्रतिस्थापन का कार्य करती है। इसीलिए मुद्रा के द्वारा बाजार में किसी भी वस्तु अथवा सेवा का क्रय-बिक्रय संभव होता है। यदि मुद्रा में यह प्रतिस्थापन की सामर्थ्य न हो, तो बाजार में किसी भी सम्पत्ति, सामग्री, वस्तु अथवा सेवा का कोई क्रय-बिक्रय संभव नहीं होगा। वास्तव में मुद्रा तरलीकृत द्रव्य के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाती है।*

प्रश्न-02 : मौद्रिक संस्थान की 'ऋणसेवा' एवं 'तरलीकरण सेवा' के बीच अन्तर क्यों है?

उत्तर-02 : *कोई भी मौद्रिक संस्थान जिसे मुद्रा जारी करने का अधिकार है, यथार्थतः वही तरलीकरण कर सकता है। वास्तव में मुद्रानिगमन संस्थान को केवल तरलीकरण ही करना चाहिए। किन्तु देश, काल, परिस्थिति के अनुकूल उसके द्वारा ऋणसेवा का भी संचालन किया जा सकता है। ऋणसेवा एक प्रकार का उधार है, जबकि तरलीकरण सेवा एक प्रकार का पारस्परिक आर्थिक व्यवहार है। स्थूल या ठोस सम्पदाओं के बदले मौद्रिक इकाइयों का निगमन ही तरलीकरण है अर्थात् किन्हीं स्थूल या ठोस सम्पदाओं के विना कोई तरलीकरण नहीं किया जा सकता। सम्पदाएँ भी ऐसी होनी चाहिए, जिनका कोई बाजारमूल्य सिद्ध होता हो, अर्थात् बाजार में जिन सम्पदाओं (वस्तुओं या सामग्रियों) को जिस मूल्य पर क्रय-बिक्रय किया जा सकता है, केवल उतनी राशि तक ही मौद्रिक तरलीकरण करना संभव होता है। किन्तु ऋणसेवा एक ऐसी व्यवस्था है, जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किश्तों द्वारा भुगतान किए जाने की शर्तों पर दिया जाता है। यह ऋणसेवा वास्तव में एक प्रकार का उधार है, जो विना किसी स्थूल या ठोस सम्पत्ति के ही प्रदान किया जा सकता है। यह ऋण यदि उत्पादक कार्यों के लिए लिया गया हो, तो उसे एक प्रकार का सुरक्षित विनियोग मानकर उसके द्वारा उपार्जित लाभ से ऋणदाता को आनुपातिक भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऋण या उधार एक प्रकार का निवेश ही है, यदि वह किसी उत्पादक इकाई में किया गया हो। यह शुद्ध ऋण केवल लाभ में समानुपातिक हिस्सेदार होता है, किन्तु हानि के लिए यह उत्तरदायी नहीं होता। इसीलिए ऋण को सुरक्षित निवेश कहा जा सकता है। किन्तु ऋण पर पूर्वाग्रहित व्याज की प्रथा ने ही उसे निवेश से भिन्न बना दिया है। निवेश करनेवाले को उद्यम में लाभ अथवा हानि का जोखिम बना रहता है, किन्तु व्याज की शर्त पर ऋण प्रदान करनेवाले को उस उद्यम के*

लाभ–हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसीलिए यह व्याजखोरी की दुष्प्रथा उद्यमकर्ताओं के लिए आत्मघाती बन जाती है। लाभ होनेवाले वर्षों में तो यह ठीक हो सकता है, किन्तु जिन वर्षों में उद्यम लाभकारी सिद्ध नहीं होता, अथवा हानि उठानी पड़ जाती है, उन वर्षों में यह व्याजयुक्त ऋण उस उद्यम और उद्यमकर्ता दोनों के लिए भयंकर सिद्ध होता है, और कई लोग तो आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। अतः इस व्याजयुक्त ऋण की प्रथा को मानवीय समाज या राष्ट्र में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। व्याजखोरी आसुरी प्रवृत्ति है तथा एक प्रकार की दूषित प्रथा है।

यद्यपि तरलीकरण प्रक्रिया सरल है, यह किसी मूल्यवान स्थूल या ठोस सम्पत्ति के बाजारमूल्य के समकक्ष मौद्रिक धनराशि प्रदान करती है, तथा जैसे–जैसे सम्पत्ति के बाजारमूल्य में गिरावट आती है, अथवा जितनी मात्रा में गिरावट की संभावना होती है, केवल उतनी मात्रा में ही धनराशि वापस करनी होती है। यदि सम्पत्ति का बाजारमूल्य प्राप्त किए गए तरलीकरण की राशि से कभी न्यून सिद्ध न हो, तो तरलीकरण के रूप में प्राप्त की गई धनराशि वापस करना आवश्यक नहीं होता। इस पर कोई व्याज अथवा टैक्स आदि भी देय नहीं हो सकता। सेवाशुल्क भी सरकार द्वारा तरलीकरण प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार की संरक्षणसेवा है, जो राजकोष के खर्चे पर स्थापित मौद्रिक संस्थान द्वारा संचालित करी जानी चाहिए।

प्रश्न-03 : क्या यह 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' मुद्रा पर व्याज की प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक है?

उत्तर-03 : *निश्चित रूप से यह संतुलित तरलीकरण प्रणाली न्यायशील होने के कारण इतनी सरल, स्वतन्त्र एवं सुलभ लक्षणों वाली है कि यह किसी सरकार या जनता की प्रायः सभी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। सरकार के लिए तो यह 100% मौद्रिक धनराशि की पूर्ति करने में समर्थ है, क्योंकि सरकार के पास अनेक प्रकार की मूल्यवान स्थूल या ठोस सम्पदाएँ सदैव विद्यमान रहती हैं, जिनके बाजारमूल्य तक तरलीकरण मौद्रिक संस्थान द्वारा तुरन्त किया जा सकता है। मौद्रिक तरलीकरण की प्रक्रिया न्यायशील होने के कारण सर्वसुलभ होती है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपनी किसी भी स्थूल सम्पत्ति को प्रत्याभूत करके समुचित धनराशि प्राप्त करने का अवसर 'न्यायशील तरलीकरण प्रणाली' प्रदान करती है। मौद्रिक तरलीकरण की सहज सुलभता के कारण समाज में मुद्रा की दुर्लभता समाप्त हो जाती है, जिससे व्याज आदि के भार से युक्त मुद्रा की माँग कम हो जाती है। अतः मुद्रा पर व्याज की दरें गिरने लगती हैं, और धीरे–धीरे समाप्त हो जाती हैं। अतः इस न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को समाज में मुद्रा पर व्याज की प्रथा को समाप्त करने में सहायक माना जा सकता है। मौद्रिक व्याजप्रथा पापपूर्ण है, शोषक है, अतः इसका समाप्त होना आवश्यक है।*

प्रश्न-04 : क्या तरलीकरण के रूप में धनराशि बाँटकर सरकार कंगाल नहीं हो जाएगी?

उत्तर-04 : *नहीं! ऐसा कदापि नहीं होगा। मौद्रिक तरलीकरण से सरकार के राजकोष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह मौद्रिक तरलीकरण एक स्वतन्त्र संस्थान द्वारा किया जाता है, जो अपना डेबिट–क्रेडिट स्वतः संतुलित बनाए रखता है। मुद्रा निगमन संस्थान द्वारा जो भी मौद्रिक धनराशि तरलीकरण के रूप में प्रदान की जाती है, उसके बदले में उसके समकक्ष बाजारमूल्य वाली सम्पत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्राप्त किया जाता है। अतः*

प्रातिभूतिक तरलीकरण के न्यायशील सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण यह मौद्रिक संस्थान कभी कंगाल अथवा दिवालिया नहीं होता। यदि तरलीकरण की प्रक्रिया द्वारा धनराशि प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों द्वारा पूर्वनिर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुकूल तरलीकृत धन वापस नहीं किया जाता, तो उस प्रत्याभूत सम्पत्ति को बाजार में नीलाम करके मौद्रिक संस्थान द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त करी जा सकती है। प्रत्याभूत सम्पत्ति के मूल्य में संभावित ह्रास या गिरावट के समतुल्य राशि को किश्तों के माध्यम से वापस संस्थान को लौटाए जाने के प्रावधान पर आधारित तरलीकरण उस संस्थान के लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकता। अतः मौद्रिक संस्थान सदैव सुरक्षित बना रहता है। इसमें किसी भी प्रकार के घाटे अथवा दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं रहता। यदि मौद्रिक संस्थान को ही कोई खतरा नहीं है, तो फिर सरकार के लिए इस खतरे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न-05 : क्या तरलीकरण की निरन्तर सुलभता के कारण मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी?

उत्तर-05 : *मौद्रिक तरलीकरण संतुलित होने पर न तो मुद्रास्फीति का कोई खतरा होता है, और न ही मुद्रासंकुचन की कोई आशंका। मौद्रिक तरलीकरण के संतुलित होने का अभिप्राय इस बात से है कि तरलीकरण के लिए प्राप्त की जानेवाली सम्पदाओं का बाजारमूल्य तरलीकृत धनराशि के समतुल्य हो। यदि सम्पत्ति के बाजारमूल्य से अधिक मात्रा में तरलीकृत धनराशि प्रदान की जाएगी, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है; किन्तु प्रतिभूति के बाजारमूल्य के साथ तरलीकृत धनराशि का संतुलन बनाए रखने पर मुद्रास्फीति की कोई शंका नहीं रहती। साथ ही भविष्य में प्रत्याभूत सम्पत्ति के बाजारमूल्य में संभावित ह्रास के आधार पर धनराशि की वापसी की किश्तों का निर्धारण भी इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। संतुलित तरलीकरण की दशा में कभी मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होती। बल्कि सम्पत्ति के बाजारमूल्य से न्यून मात्रा में होनेवाला तरलीकरण बाजार में मुद्रासंकुचन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः मुद्रासंकुचन से बचने के लिए भी मौद्रिक संस्थान को प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए मौद्रिक तरलीकरण की नीति को संतुलित बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मुद्रासंकुचन राष्ट्र के आर्थिक विकास को अवरुद्ध करता है, तथा मुद्रासंकुचन की गंभीर अवस्था में तो आर्थिक विकास कुंठित हो जाता है। अतः मुद्रासंकुचन से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रास्फीति की तुलना में राष्ट्र के लिए अत्यधिक हानिकारक है। मुद्रास्फीति के कारण होनेवाली हानि की भरपाई तो अन्य किन्हीं उपायों से सरकार द्वारा करी जा सकती है, किन्तु मुद्रासंकुचन से उत्पन्न होनेवाले दुष्परिणाम सम्पूर्ण राष्ट्र को भुगतने पड़ते हैं, तथा भयंकर दरिद्रता, अभावग्रस्तता, निर्धनता, गरीबी, भुखमरी, असुविधा एवं अन्य हजारों प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः मुद्रासंकुचन को अत्यधिक हानिकारक समझना चाहिए। उचित तो यही है कि मौद्रिक संस्थान द्वारा सदैव संतुलित तरलीकरण की नीति अपनाई जाए, ताकि राष्ट्र में एक संतुलित अर्थव्यवस्था का उदय हो। संतुलित तरलीकरण के द्वारा ही संतुलित आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।*

प्रश्न-06 : क्या इस तरलीकरण प्रणाली से सरकार को राजकीय उद्यम की स्थापना हेतु भी पूँजीविनियोग सुलभ हो जाएगा?

उत्तर-06 : *सरकार भी अन्य वाणिज्य अथवा कृषि उद्यमों की भाँति किसी भी राजकीय उद्यम की स्थापना कर सकती है, और अन्य उद्यमों की भाँति राजकीय उद्यम को भी मौद्रिक संस्थान से पर्याप्त पूँजी प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि सरकार द्वारा उस उद्यम के लिए पूँजीविनियोग हेतु आवश्यक तरलीकरण के बदले में समुचित प्रतिभूति प्रस्तुत करे। सरकारी अथवा गैरसरकारी किसी भी उद्यम के लिए मौद्रिक तरलीकरण सुलभ हो सकता है। राजकीय उद्यम के लिए भी उन्हीं नियमों–शर्तों का पालन अनिवार्य होता है। प्रतिभूति के विना कोई तरलीकरण किसी भी व्यक्ति अथवा उद्यम के लिए नहीं किया जा सकता। मौद्रिक संस्थान की लेखापुस्तकों में डेबिट–क्रेडिट के पृष्ठों को परस्पर संतुलित बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की शर्त समानरूप से सबके लिए अनिवार्य होती है।*

प्रश्न-07 : क्या मौद्रिक संस्थान द्वारा किए जानेवाले तरलीकरण से प्राप्त धनराशि के माध्यम से खरीदी गयी स्थूल सम्पदा अथवा लगाए गए उद्यमों को भी प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर-07 : *कोई भी सम्पत्ति चाहे वह तरलीकरण से पहले प्रतिष्ठित हो अथवा तरलीकरण के पश्चात् त्वरित रूप से प्रतिष्ठित हो। दोनों प्रकार की सम्पदाओं का बाजारमूल्य यदि तरलीकृत धनराशि के समकक्ष है, तो उस सम्पदा को प्रतिभूति के रूप में तरलीकरण हेतु स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए यह देखना आवश्यक होगा कि उसके बाजारमूल्य का तात्कालिक स्तर एवं भविष्य में संभावित गिरावट आदि का रुझान क्या है! अतः संभावित अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास से निपटने के लिए तरलीकृत धनराशि की वापसी की किश्तों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत सम्पदा के भावी अवमूल्यन की संभावनाओं पर आधारित किश्तों द्वारा वसूल की जानेवाली तरलीकृत राशि मौद्रिक संस्थान को सभीप्रकार की हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। यदि तरलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करते समय आवेदक के पास कोई स्थूल सम्पदा नहीं है, तो उसके लिए तरलीकरण द्वारा उत्पन्न होनेवाली भावी सम्पदा को प्रतिभूति मानकर ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करी जा सकती है। अतः उसके लिए ऋणनीति का अनुसरण किया जाना अधिक उचित है।*

प्रश्न-08 : क्या जनता की भी स्थूल सम्पत्तियों का तरलीकरण हो सकता है?

उत्तर-08 : *राष्ट्र के किसी भी नागरिक के स्वामित्व में स्थित कोई भी स्थूल सम्पत्ति का तरलीकरण किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को यह न्यायोचित अधिकार है कि वह अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी स्थूल सम्पदाओं का तरलीकरण करवा सके। मौद्रिक संस्थान जनता की सेवा के लिए ही स्थापित किया जाता है। जनहित में मुद्रा का निगमन–प्रचालन करने के लिए ही मौद्रिक संस्थान की स्थापना राज्य की ओर से करी जाती है। मुद्रा एक वैकल्पिक वस्तु है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन एवं क्रय–बिक्रय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मुद्रा को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक अनिवार्य साधन माना जाता है। किसी भी स्थूल संसाधन या मूल्यवान वस्तु के बदले में मुद्रा की सुलभता को सुनिश्चित करना ही राजकीय मौद्रिक संस्थान का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही राज्य द्वारा न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण की नीति अपनायी जानी चाहिए।*

प्रश्न-09 : संस्थान की ओर से तरलीकरण पर लाभांश, व्याज, टैक्स, शुल्क आदि के आरोपण की नीति क्यों नहीं अपनायी जानी चाहिए?

उत्तर-09 : *तरलीकरण की परिभाषा निवेश या ऋण से भिन्न है। अतः तरलीकरण को निवेश या ऋण की भाँति नहीं माना जा सकता, क्योंकि तरलीकरण के बदले में समान मूल्यवाली प्रतिभूति प्राप्त की जाती है, अतः कौन किसे व्याज चुकाए ? और क्यों चुकाए ? ऐसे अनेक प्रश्न खड़े होते हैं, जिनके वर्तमान उत्तर मूर्खतापूर्ण हैं। दूसरी बात– यह कोई उत्पादन नहीं है, यह केवल सम्पत्तियों का तरलीकरण है। इसे प्रतिस्थापन या विकल्प भी कहा जा सकता है। इससे कोई उत्पादन या लाभ त्वरित रूप से प्रकट नहीं होता, बल्कि तरलीकृत राशि के विनियोग एवं अन्य साधनों के सहयोग से कोई आर्थिक उत्पादन या लाभ या आय प्राप्त होती है, और न्यायपूर्वक टैक्स केवल उत्पादन पर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि संसाधनों पर टैक्स लगाने से संसाधन समाप्त होने लगते हैं और समाज में दरिद्रता बढ़ती है। बीज पर टैक्स लगाने से फसल उगाना भी कठिन हो जाएगा। अतः कोई भी सरकारी राजस्व, लगान या टैक्स या शुल्क या लाभांश का प्रावधान केवल फसल पर ही किया जा सकता है, बीज पर नहीं। संसाधन बीज की भाँति है, उत्पादन फसल की भाँति है। इसीप्रकार से मौद्रिक सेवा एक राजकीय सेवा है, जो प्रजापालन के उद्देश्य से संचालित की जाती है। अतः इसके संचालन का व्ययभार राजकोष द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इस मौद्रिक सेवा को संचालित करने के लिए राज्य की ओर से किसी शुल्क का प्रावधान भी न्यायोचित नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि मौद्रिक तरलीकरण पर लाभ, व्याज, टैक्स, शुल्क आदि का भार पूर्णतः अन्यायकारी है। इसे कभी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। राज्य की ओर से यह मौद्रिक तरलीकरण सेवा वास्तव में निर्लाभ, निर्व्याज, विना टैक्स एवं निःशुल्क सेवा के रूप में संचालित करी जानी चाहिए।*

प्रश्न-10 : तरलीकरण की सरलता, स्वतन्त्रता एवं सर्वसुलभता के कारण जब सभी लोग तरलीकरण की माँग करने लगेंगे, तो इतनी अधिक मुद्रा कहाँ से आएगी?

उत्तर-10 : *मुद्रा वैकल्पिक साधन होने के कारण असीम और अनन्त है। जितनी मात्रा में कोई भी स्थूल सम्पत्ति अपनी मूल्यवत्ता बाजार में सिद्ध कर सकती है, उतनी मात्रा में मुद्रा भी जारी की जा सकती है। संसार में सम्पत्तियों की सीमा ही मुद्रा की सीमा है। यदि किसी भी प्रकार की सम्पत्ति संसार में सुलभ है, जिसका कोई बाजारमूल्य सिद्ध हो, तो उतनी मात्रा तक मुद्रा जारी हो सकती है। नई–नई सम्पदाओं के विकास से मुद्रा की नई–नई मात्राएँ जारी होती रह सकती हैं। मुद्रा की सीमा केवल तभी हो सकती है, जबकि मुद्रा का भी कोई स्थूल अस्तित्व होता हो। किन्तु जब मुद्रा का स्वरूप ही काल्पनिक हो, तो उसकी सीमा निर्धारित नहीं करी जा सकती।*

प्रश्न-11 : क्या मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मुद्रा का मूल्य नहीं गिरेगा? और मुद्रा का मूल्य गिरने से बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की मँहगाई नहीं बढ़ेगी?

उत्तर-11 : *मुद्रा का कोई अपना वस्तुगत मूल्य न होने से मुद्रा के मूल्य के गिरने अथवा उठने से मुद्रा की पूर्ति का सम्बन्ध इसलिए नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण स्वर्णादि किसी धातु की एक विशेष मात्रा के मूल्य के समकक्ष किया जाना चाहिए। इस निर्धारण से यह स्पष्ट होगा कि उस धातुविशेष की पूर्ति में उच्चावचन के कारण होनेवाले मूल्य परिवर्तन के आधार पर ही मुद्रा का मूल्य परिवर्तन होगा; न कि मुद्रा की पूर्ति में उच्चावचन के द्वारा। अतः मुद्रा की न्यून अथवा अधिक पूर्ति से बाजार में मुद्रा के मौद्रिक मूल्य पर कोई*

प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुद्रा की माँग और पूर्ति की क्रियाओं द्वारा मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने का षड़यन्त्र तो मुद्रा को दुर्लभ बनाकर अधिक से अधिक लाभ या व्याजदर थोपने का दुर्लक्ष्य दुष्टों द्वारा रखा जाता है। इस समस्या से बचने के लिए यह आवश्यक होगा कि मुद्रा के मौद्रिक मूल्य के निर्धारण का यह विशेष सिद्धान्त अपनाया जाए कि उसे किसी रजत या स्वर्णादि धातु की मात्रा विशेष जैसे– एक ग्राम या अन्य कोई मात्रा के बाजारमूल्य के समकक्ष एक मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाए। किन्तु इस मौद्रिक मूल्य के निर्धारण का अभिप्राय यह नहीं है कि मौद्रिक संस्थान को मुद्रा जारी करने के लिए अपने भण्डार में प्रत्येक मौद्रिक इकाई के बदले में उस धातु की निर्धारित मात्रा को ही प्रतिभूति के रूप में रखा जाए, बल्कि मुद्रा जारी करने के लिए प्रतिभूति की प्राप्ति उस व्यक्ति अथवा सत्ता से करी जाएगी, जो तरलीकरण की प्राप्ति के लिए मौद्रिक संस्थान को आवेदन प्रस्तुत करेगा। इसप्रकार से जब मुद्रा की प्रत्येक इकाई जारी होने के समय उसके मूल्य के समकक्ष प्रतिभूति की माँग मौद्रिक संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों से करी जाएगी, और प्रत्येक इकाई के बदले में उसके मूल्य के समतुल्य प्रतिभूति स्वीकार करी जाएगी, तो मुद्रास्फीति का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजारमूल्य उन वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वाभाविक माँग और पूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित होगा। अतः बाजार में किन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं की मँहगाई अथवा सस्ताई से इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

प्रश्न-12 : मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन की परिभाषा वर्तमान अर्थशास्त्र से हटकर आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। क्या अब तक के सभी अर्थशास्त्री गलत थे?

उत्तर-12 : *धीरे–धीरे वर्तमान अर्थशास्त्रियों को भी यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन की परिस्थितियाँ वास्तव में प्रतिभूति के बाजारमूल्य से अधिक अथवा न्यून मात्रा में मुद्रा जारी करने के कारण उत्पन्न होती हैं। न्यायशील अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि प्रतिभूति के सामान्य बाजारमूल्य से अधिक मात्रा में मुद्रा जारी की जाए, तो मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होगी। इसीप्रकार से यदि प्रतिभूति के सामान्य बाजारमूल्य से न्यून मात्रा में मुद्रा जारी की जाए, तो मुद्रासंकुचन की दशा उत्पन्न होगी। इस मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन की परिभाषा को ही न्यायसंगत माना जा सकता है। अन्य कोई भी परिभाषाएँ इस न्यायशील परिभाषा का उल्लंघन नहीं कर सकतीं। वास्तव में अर्थशास्त्र अभी अपने शिखर तक नहीं पहुँच पाया था, इसीलिए अर्थशास्त्र ही नहीं, अन्य शास्त्रों की भी शुद्धता और पूर्णता संदिग्ध बनी हुई है। किन्तु अब समय आ गया है कि सभी शास्त्र अपनी पूर्णता को प्राप्त हों और प्रत्येक तत्त्व अथवा तथ्य अथवा सिद्धान्त अपनी वास्तविक परिभाषा को प्राप्त हो। जो जितना सत्य होता है, वह उतना पूर्ण होता है। सत्यता ही पूर्णता है। सत्युग निकट है।*

प्रश्न-13 : आपके द्वारा प्रतिपादित करी गई संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली क्या वास्तव में राष्ट्रीय आर्थिक विकास को तीव्र कर सकती है?

उत्तर-13 : *इस पुस्तिका में वर्णित 'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली' निश्चित रूप से आर्थिक विकास को परम तीव्र कर सकती है। यहाँ तक कि यह प्रणाली किसी भी राष्ट्र के 300 वर्ष के आर्थिक विकास को मात्र 3 वर्ष में भी संभव बनाने में समर्थ सिद्ध हो सकती है, बशर्ते कि शिक्षा–प्रशिक्षण आदि की व्यवस्थाएँ भी इसके अनुकूल अपनाई जा सकें। क्योंकि मौद्रिक पूँजी के साथ कर्मकौशल की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान राजकीय व्यवस्थाएँ तो ऐसी*

आर्थिक नीतियों पर आधारित हैं, जो राष्ट्र के आर्थिक विकास को रोकने में लगी हुई हैं, जबकि जनसमाज में शिक्षा–प्रशिक्षण की वृद्धि के कारण वह आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में निरन्तर संलग्न है। मौद्रिक तरलीकरण की नीति के न्यायशील न होने से राष्ट्र में मौद्रिक पूँजी का अभाव उत्पन्न होता है। मौद्रिक पूँजी के अभाव से उद्यमों में विनियोग पर्याप्त नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन की मात्रा में गिरावट आती है। सकल उत्पाद की मात्रा में गिरावट होने से आर्थिक विकास की गति एवं स्तर में गिरावट आती है। केवल न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली ही राष्ट्र के न्यायशील आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है एवं उसकी समस्त संभावनाओं को साकार करती है।

प्रश्न-14 : क्या विगत 300 वर्ष के आर्थिक विकास को वास्तव में यह प्रणाली केवल 3 वर्षों में अर्जित कर सकती है? अथवा क्या यह प्रणाली सहस्राब्दियों के विकास को दशकों में उपलब्ध कर सकती है?

उत्तर-14 : *वर्तमान संसार के सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था मूर्खों और धूर्तों के बीच के संघर्ष में फँसी हुई है। समाज के चन्द धूर्तों ने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु अपने अधीन कर रखा है, और उसे दूसरों के शोषण का माध्यम बनाने की कुचेष्टा करी जा रही है। संसार का लगभग 90% जनसमुदाय इनकी कूटनैतिक चालों से ग्रस्त और त्रस्त है। अधिकांश राष्ट्र इस नैतिक समस्या से विगत हजारों वर्षों से जूझ रहे हैं, किन्तु अब इन दोनों वर्गों के बीच में एक मध्यम वर्ग का उदय होने लगा है, जो इन कूटनैतिक चालों को समझने लगा है और अपनी आर्थिक विकासयात्रा के सभी आयामों का अन्वेषण और प्रयास भी करने लगा है। अतः अब उसे वास्तविक न्यायशील अर्थशास्त्र की आवश्यकता अनुभव होने लगी है, जो हमारे द्वारा उसके लिए सहज रूप से सुलभ कराया जा रहा है। यह न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली उसी 'न्यायशील अर्थशास्त्र' का एक अंश है, जो विश्व मानवसमाज एवं राष्ट्र को वास्तविक न्यायशील आर्थिक विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने में समर्थ है।*

यह सुनिश्चित ही है कि न्यायशील आर्थिक नीति पर आधारित यह मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को इतना तीव्र कर सकती है कि वह विगत 300 वर्षों के आर्थिक विकास को मात्र 3 वर्ष में ही संभव कर दिखाए, अथवा सहस्राब्दियों के आर्थिक विकास को दशकों में ही हस्तगत कर ले। यह प्रणाली आश्चर्यजनक प्रभाव वाली है, जो किसी भी राष्ट्र को आर्थिक विकास की सम्पूर्णता का वरदान देने में सक्षम है। कोई भी राष्ट्र इसे अपनाकर इसके प्रभाव को देख सकता है। निःशंक रूप से इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को अपनानेवाला राष्ट्र इससे अभिभूत हुए विना नहीं रह सकता। यह सम्पूर्ण राष्ट्र को आर्थिक धन्यता प्रदान करने में सुनिश्चित भूमिका निभानेवाली है। सौभाग्यशाली हैं वे राष्ट्र, जो इसे अतिशीघ्र अपनाएँगे। इसके द्वारा वे अपनी दरिद्रता के दुःख को दूर करेंगे तथा समस्त सुखसुविधाओं से युक्त होकर स्वर्णिम युग में प्रवेश करके परम वैभव का आनन्द एवं गौरव प्राप्त कर सकेंगे।

प्रश्न-15 : क्या संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली में तरलीकरण की उन्मुक्त सुलभता के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से हमारी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिर नहीं जाएगा?

उत्तर-15 : *संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के अन्तर्गत संतुलित मुद्रानिगमन की नीति सदैव प्रतिष्ठित रहती है, जिससे बाजार में मुद्रा सदैव अपने वास्तविक मूल्य पर ही बनी रहती है। वास्तव में उसका मूल्य न कभी गिरता है, न उठता है। संतुलित मुद्रानिगमन की दशा में मुद्रा का जो भी बाजारमूल्य सिद्ध होता है, वही मुद्रा का यथार्थ एवं न्यायशील मूल्य होता है। किसी भी राष्ट्र की मुद्रा के इस यथार्थ मौद्रिक मूल्य को ही 'मानक' के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मानक मूल्य* ***(Standard Value)*** *ही किसी भी मुद्रा की मूल्यवत्ता का परिचायक होता है। किसी मुद्रा के इस 'मानक मूल्य' के द्वारा ही अन्य मुद्राओं के साथ उस मुद्रा का विनिमय* ***(Exchange)*** *किया जाता है। किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच मुद्रा विनिमय की यही पद्धति श्रेष्ठ हो सकती है। न्यायशील राष्ट्र की मुद्रा का मौद्रिक मूल्य सदैव अपने यथार्थ स्वरूप में बना रहता है, क्योंकि मुद्रानिगमन की संतुलित नीति अपनाई जाती है। अतः न्यायशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य के गिरने या उठने से मुद्रा की पूर्ति का कोई सम्बन्ध नहीं होता। मुद्रा की पूर्ति कितनी भी अधिक हो, वह संतुलित नीति पर आधारित होने के कारण सदैव सम्यक्* ***(Perfect)*** *मूल्यवाली बनी रहती है। मुद्रानिगमन की संतुलित नीति का अभिप्राय प्रतिभूति के बाजारमूल्य के समतुल्य धनराशि तक ही तरलीकरण किए जाने से है। मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव का सम्बन्ध मुद्रा की उस मानक धातु* ***(Standard Metal)*** *के मूल्य में उच्चावचन से अवश्य होता है। राष्ट्र में चाहे कागजी मुद्रा का प्रचालन हो अथवा आंकिक मुद्रा का प्रचालन हो, दोनों ही अवस्थाओं में मुद्रा की मूल्यवत्ता का निर्धारण किसी मूल्यवान वस्तु या धातु के एक विशेष भार की मात्रा के बाजारमूल्य के समतुल्य होता है। इस धातु को ही मुद्रा के लिए मानक धातु तथा इस धातु के बाजारमूल्य को ही मुद्रा का मानक मूल्य स्वीकार किया जा सकता है, और इसी मानक मूल्य पर विदेशी मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया निर्भर रहती है।*

प्रश्न-16 : क्या विदेशी आयात-निर्यात में भुगतान संतुलन पर इस मौद्रिक तरलीकरण की स्वतन्त्रता का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा?

उत्तर-16 : *मौद्रिक तरलीकरण की स्वतन्त्रता से विदेशी आयात-निर्यात का सीधा कोई सम्बन्ध ा नहीं है, क्योंकि विदेशी भुगतान संतुलन* ***(Balance of Payments)*** *का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आयात-निर्यात की मात्रा से होता है, और आयात-निर्यात का सम्बन्ध राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से होता है। सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा में गिरावट आने पर निर्यात कम हो जाता है और आयात बढ़ जाता है, जिससे भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किन्तु न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण की नीति अपनानेवाले राष्ट्र में पूँजीविनियोग की प्रबलता के कारण सकल घरेलू उत्पाद निरन्तर बढ़ता रहता है, जिससे निर्यात की वृद्धि होती है, और आयात में कमी आती है। फलस्वरूप मौद्रिक तरलीकरण की सुलभता के कारण भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वतन्त्र मौद्रिक तरलीकरण किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास एवं समृद्धि की ओर ले जाता है।*

प्रश्न-17 : क्या इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को अपनाने पर हमें विदेशी ऋण, विदेशी निवेश एवं विदेशी सहायता की याचना नहीं करनी पड़ेगी? और क्या वास्तव में हमारा राष्ट्र मौद्रिक पूँजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा?

उत्तर-17 : *किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसकी पूँजीविनियोग की क्षमता पर निर्भर करता है। जो राष्ट्र पूँजीविनियोग की पर्याप्त मात्रा व्यवस्थित करने में समर्थ होता है, उस राष्ट्र का आर्थिक विकास स्वतः तीव्र गति से हो सकता है। किन्तु जो राष्ट्र अपने उद्यमों में पूँजीविनियोग के लिए विदेशी ऋण, विदेशी निवेश एवं विदेशी सहायता पर निर्भर रहते हैं, वे अपना विकास आत्मनिर्भरतापूर्वक नहीं कर सकते। ऐसे पराश्रयी और परावलम्बी राष्ट्र अपने निवेशकों एवं ऋणदाताओं आदि के दासतुल्य हो जाते हैं। ऐसे राष्ट्रों की अस्मिता ही नहीं, अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। आर्थिक रूप से परावलम्बी राष्ट्र कभी अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। इस आर्थिक परावलम्बिता का मूल कारण है– संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का अभाव। जो राष्ट्र न्याय के सिद्धान्त पर आधारित होता है, वह स्वतः न्यायशील मौद्रिक नीतियों का निर्माण करके आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो जाता है। जिसकी मौद्रिक नीति में सरलता, स्वतन्त्रता, सुलभता आदि के लक्षण विद्यमान रहते हैं, वही राष्ट्र न्यायशील मौद्रिक नीति वाला कहा जा सकता है। यह न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र को पर्याप्त पूँजीविनियोग की सामर्थ्य प्रदान करती है, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी भी मूल्यवान सम्पत्ति को उसके बाजारमूल्य के समकक्ष तरलीकृत करके आवश्यकतानुसार पूँजी प्राप्त करी जा सकती है। ऐसी मूल्यवान स्थूल सम्पत्तियाँ सभी राष्ट्रों के स्वामित्व में सदैव स्थित रहती हैं। अतः किसी विदेशी ऋण, विदेशी निवेश अथवा विदेशी सहायता के विना ही सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन तीव्रगति से इस न्यायशील तरलीकरण प्रणाली को अपनाकर किया जा सकता है। यह प्रणाली किसी भी राष्ट्र को मौद्रिक पूँजी के लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ है।*

प्रश्न-18 : क्या संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाने से वास्तव में हमारी सरकार को अपने देश के धनिकों या पूँजीपतियों से भी ऋण, निवेश, सहायता आदि की याचना करने की विवशता समाप्त हो जाएगी?

उत्तर-18 : *सरकार को किसी भी उद्यम की स्थापना अथवा विकास के लिए देशी अथवा विदेशी किसी भी धनपति से मौद्रिक धन की याचना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि उसके द्वारा संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनायी जा सके, तो वह पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त हो सकता है। किसी राष्ट्र की सरकार ही नहीं, बल्कि उसके नागरिक भी जिनके पास कुछ भी स्थूल सम्पदा है, वे उसके बाजारमूल्य के समकक्ष तरलीकरण प्राप्त करके अपनी मौद्रिक पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उन्हें किसी भी देशी या विदेशी व्यक्तियों अथवा सत्ताओं से मौद्रिक पूँजी की याचना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाए जाने पर कोई भी राष्ट्रीय सरकार अथवा नागरिक मौद्रिक पूँजी के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है। जिनके पास तरलीकरण के लिए प्रतिभूति के रूप में कोई स्थूल सम्पदा सुलभ न हो, वे भी उस भावी सम्पदा को प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो तरलीकरण के पश्चात् स्थूल रूप से किसी भूमि, भवन, यन्त्र, उपकरण आदि के रूप में हस्तगत होनेवाली है। स्पष्ट है कि यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली सरकार एवं समाज को मौद्रिक पूँजी सुलभ कराने में समर्थ है, तथा उसे आर्थिक दासता से बचाकर*

स्वावलम्बी बनाने में सहायक है। अतः सरकार को किसी राष्ट्रीय बचतपत्र, इन्दिरा विकासपत्र, किसान विकासपत्र अथवा अन्य किसी बाण्ड, ऋणपत्र आदि के रूप में किसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती तथा व्याज अथवा लाभ आदि के भुगतान की विवशता से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

प्रश्न-19 : संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाने से क्या हमारा देश वास्तव में आर्थिक दासता एवं शोषण से मुक्त हो जाएगा?

उत्तर-19: *किसी राष्ट्र की सरकार या जनता की आर्थिक दासता का मूल कारण मौद्रिक पूँजी की दुर्लभता ही है। यदि इस कारण का समुचित निवारण किया जा सके, तो सरकार या जनता की आर्थिक दासता पूर्णतः समाप्त हो सकती है, तथा आर्थिक शोषण की संभावनाओं पर भी विराम लग जाएगा। मौद्रिक पूँजी दुर्लभ होने के कारण लोग विवश होकर अनावश्यक शर्तों पर निवेश, ऋण, उधार, सहायता आदि प्राप्त करते हैं, जो उनके लिए दासता और शोषण का कारण बनती है। मौद्रिक पूँजी प्राप्ति की विवशता को यदि स्वतन्त्रता में परिवर्तित करना है, तो किसी भी राष्ट्र को यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली तुरन्त स्वीकार कर लेनी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता का यही एकमात्र उपाय है, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए विना दासता और शोषण से बचना लगभग असंभव है। आर्थिक विवशता ही अन्य सभी प्रकार की विवशताओं को जन्म देती है। अतः मौद्रिक पूँजी के अभाव से उत्पन्न आर्थिक विवशता को समाप्त करने के लिए संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली की तुरन्त आवश्यकता है।*

प्रश्न-20 : क्या संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाने से वास्तव में हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से चन्द वर्षों में ही यूरोप और अमेरिका से आगे निकल सकता है? और उनके विगत 300 वर्षों की संघर्ष पूर्ण आर्थिक विकासयात्रा को तुच्छ सिद्ध कर सकता है?

उत्तर-20 : *इस बात पर कोई शंका नहीं है कि यदि हमारा राष्ट्र इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को अपनाता है, तो विगत 300 वर्षों की पाश्चात्य राष्ट्रों की आर्थिक विकासयात्रा की महान् उपलब्धियों को मात्र 3 वर्षों में ही हस्तगत कर सकता है। यह सहस्राब्दियों की उपलब्धियाँ दशकों में ही हस्तगत करानेवाली प्रणाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। बल्कि यदि शिक्षा–प्रशिक्षण आदि आर्थिक विकास की अन्य शर्तें भी सुव्यवस्थित की जा सकें, तो यह 3000 वर्षों के आर्थिक विकास को भी मात्र 3 वर्षों में अर्जित कर सकता है। भारत की वर्तमान आर्थिक विकासयात्रा न्यायशील मौद्रिक नीतियों के अभाव में जिस कच्छपगति से चल रही है, वह मात्र 3 वर्ष की आर्थिक विकासयात्रा को आगामी 3000 वर्षों में भी पूर्ण कर सकेगी, इस पर सन्देह है। न्यायशील मौद्रिक नीति ही आर्थिक विकास की धुरी है। इस धुरी पर ही आर्थिक विकास का चक्र तीव्र गति से घूम सकता है। इस न्यायशीलता की धुरी से बाहर निकलकर चलनेवाली विकासयात्रा चलने के स्थान पर लुढ़कती एवं घिसटती हुई दृष्टिगोचर होती है।*

प्रश्न-21 : क्या वास्तव में इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के कारण हमारे देश की हजारों वर्षों की आर्थिक दरिद्रता, परावलम्बिता एवं विवशता समाप्त हो सकती है?

उत्तर-21 : *साधारण बुद्धि से तो इस बात पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, किन्तु प्रखर बुद्धि का मस्तिष्क इस बात को भलीभाँति समझ सकता है कि यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास एवं समृद्धि के लिए जादू की छड़ी की भाँति कारगर है। पलक झपकते ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को फर्श से अर्श तक पहुँचाने में यह अद्‌भुत मौद्रिक प्रणाली पूर्णतः समर्थ है। मानवीय अज्ञान और मुफ्तखोरी का दुराग्रह ही किसी राष्ट्र की मौद्रिक नीति को न्यायशील नहीं होने देता। फलस्वरूप सरकार सहित सम्पूर्ण राष्ट्र भयंकर आर्थिक संकटों से घिर जाता है। भाँति-भाँति की आर्थिक समस्याएँ उसके मार्ग पर विघ्न उपस्थित करती हैं। वास्तव में समस्त प्रकार के मौद्रिक संकट इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और राष्ट्र की समस्त दरिद्रता, परावलम्बिता एवं विवशता का अन्त हो सकता है, जिससे वह राष्ट्र समृद्धि, स्वावलम्बन एवं स्वतन्त्रता को प्राप्त हो सकता है।*

प्रश्न-22 : क्या यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली हमारे देश में व्याप्त भयंकर बेरोजगारी की समस्या को भी प्रभावित कर सकती है?

उत्तर-22 : *बेरोजगारी का मूल कारण उद्यमों का अभाव है। उद्यमों की स्थापना का आधार मौद्रिक पूँजी है। मौद्रिक पूँजी के अभाव में ही उद्यम का अभाव प्रकट होता है। उद्यमों के विना उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में किसी भी उद्यम में उत्पादन के तीन अनिवार्य साधन होते हैं- श्रम, पूँजी, सुविधा। उत्पादन के तीन साधनों में पूँजी का भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूँजी के विना श्रम और सुविधा भी निरर्थक हो जाते हैं। श्रम और सुविधा की भाँति पूँजी को भी अनिवार्य साधन माना जाता है। इन तीनों साधनों के विनियोग द्वारा ही किसी उद्यम की स्थापना होती है। कृषि, वाणिज्य, राज्य अथवा अन्य किसी भी प्रकार के उद्यम में उपरोक्त तीनों साधनों के विनियोग की आवश्यकता होती है। इन उद्यमों के द्वारा ही रोजगार का सृजन होता है। स्पष्ट है कि उद्यमों की अधिक से अधिक स्थापना द्वारा रोजगार के अवसरों की वृद्धि करी जा सकती है। किन्तु उद्यमों की स्थापना पूँजी आदि त्रिसाधनों पर निर्भर है। श्रम का विनियोग श्रमिक द्वारा तथा सुविधा का विनियोग सरकार द्वारा किया जाता है। किन्तु पूँजी की सुलभता के लिए एक ऐसे न्यायशील मौद्रिक संस्थान की आवश्यकता है, जो सरल, सहज एवं स्वतन्त्र रूप से मौद्रिक तरलीकरण करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता हो। न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण की नीति ही ऐसा करने में समर्थ है, जिससे पूँजी की सुलभता सुनिश्चित होती है, और इस सुलभ पूँजी के विनियोग से उद्यमों की स्थापना को बल मिलता है। इन उद्यमों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अतः न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण नीति बेरोजगारी पर सीधा प्रभाव डालती है, तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि करके बेरोजगारी को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।*

प्रश्न-23 : क्या वास्तव में हमारा देश इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के प्रभाव से पुन: स्वर्णपक्षी सिद्ध हो सकता है?

उत्तर-23 : *कोई भी राष्ट्र जो न्यायशील मौद्रिक नीति को स्वीकार करने में समर्थ है, वह शीघ्र ही स्वर्णयुग में प्रवेश कर सकता है। उसका भविष्य निश्चित रूप से स्वर्णिम है। न्यायशील मौद्रिक नीति एक ऐसी चमत्कारिक छड़ी है, अथवा एक ऐसा पारस पत्थर है, अथवा एक ऐसा कल्पवृक्ष है, जो किसी राष्ट्र को वह सब कुछ दे सकता है, जो वह कल्पित करता हो, चाहता हो। न्यायशील मौद्रिक नीति किसी राष्ट्र के लिए वरदान की भाँति है, जो इसे स्वीकार करने की साधना के लिए तत्पर है। एक बार राज्य में दुष्टता का प्रवेश हो जाने पर नैतिकता की स्वीकारोक्ति किसी कठिन साधना एवं तपस्या की भाँति हो जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी राष्ट्र दिन-प्रतिदिन गुणात्मक दृष्टि से बढ़ते हुए आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है और शीघ्र ही आर्थिक साम्यावस्था पर पहुँचकर परम वैभव का आनन्द एवं गौरव प्राप्त करता है।*

प्रश्न-24 : इस देश में एक सरकारी आँकड़े के अनुसार आज लगभग ७७% नागरिक जो केवल रु.२०/- प्रतिदिन से भी कम पर जीवनयापन करने को विवश हैं, क्या संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली अपनाने पर वे सब चंद दिनों में ही महान् समृद्धि के आनन्द और गौरव को प्राप्त हो सकते हैं?

उत्तर-24 : *कोई भी राष्ट्र जो इस न्यायशील मौद्रिक प्रणाली को अपनाने के लिए तत्पर है, वह निश्चित रूप से आर्थिक विकास और प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा, तथा उसका भविष्य महान् समृद्धि के लक्ष्य तक शीघ्र ही जा पहुँचेगा। वर्तमान भारत में देश की 87% सम्पदा पर केवल 9% लोगों का अधिपत्य है। इसीप्रकार से देश की 70% नगद मौद्रिक पूँजी पर केवल 8200 लोगों का अधिपत्य है, जबकि देश की वर्तमान जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। स्पष्ट है कि नगद मौद्रिक पूँजी पर चन्द चालाक नागरिकों का अधिपत्य ही सम्पूर्ण स्थूल सम्पदाओं को अपने अधीन करता चला जा रहा है। यदि मौद्रिक पूँजी के इस भयंकर संकट को दूर नहीं किया गया, तो ये रु.20/- प्रतिदिन की उपभोग सामर्थ्य भी 77% नागरिकों के हाथ में नहीं रह जाएगी। इन सब सरकारी आँकड़ों को देखते हुए कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति समझ सकता है कि न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण नीति किसी राष्ट्र के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यही वह नीति है, जो मौद्रिक पूँजी को सरल, स्वतन्त्र एवं सर्वसुलभ बनाने में समर्थ है। मौद्रिक पूँजी की दुर्लभता को दूर करने के लिए इसकी सुलभता की नीति तुरन्त स्वीकार करी जानी चाहिए। इसी में राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का हित है। अन्यथा मौद्रिक पूँजी की दुर्लभता का लाभ उठाते हुए भयंकर चालाक पूँजीपति इस देश की साधारण जनता के श्रम का शोषण लाभ और व्याज के रूप में करते रहेंगे तथा निवेश एवं ऋण की भयंकर अन्यायकारी नीतियों के द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र पर अपना-अपना अवैध वर्चस्व बनाए रखेंगे।*

प्रश्न-25 : जब यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली इतनी महान् मौद्रिक नीति है, तो हमारे प्राचीन राजाओं या वर्तमान राजनेताओं ने इस मौद्रिक तरलीकरण की नीति को अपनाकर सदा-सदा के लिए दरिद्रता के दुःख को समाप्त क्यों नहीं कर दिया?

उत्तर-25 : *जब तक समाज या राष्ट्र में केवल मूर्खों एवं धूर्तों का अस्तित्व रहता है, तब तक जंगलराज समाप्त नहीं होता। जंगलराज से मंगलराज की ओर जाने के लिए हमें इन मूर्खों और धूर्तों के बीच एक ऐसे मध्यमवर्गीय मानवसमुदाय के उदीयमान होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जो मूर्खता और धूर्तता से मुक्त होकर इनके बीच अपने सुविज्ञ एवं सकारात्मक अस्तित्व का विकास करती है। सभी राष्ट्रों को इस मध्यम वर्ग की आवश्यकता हैं। अब भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के सामाजिक एवं राष्ट्रीय पर्यावरण में इस मध्यम वर्ग का सूर्योदय होने लगा है, और मध्याह्न काल तक पहुँचकर यह अपना अस्तित्व प्रभावी ढंग से सिद्ध करने में सफल हो जाएगा। शिक्षा के अभाव में मूर्खता बनी रहती है, तथा संस्कारिता के अभाव में धूर्तता बनी रहती है। हमें सुशिक्षा और सुसंस्कारिता की आवश्यकता है, जो हमें मूर्खता और धूर्तता के अभिशाप से बचाकर इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने योग्य बना देती है। धूर्त लोग मूर्खों को दास बनाकर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने में निरन्तर संलग्न रहते हैं। ये भेड़ियों और भेड़ों की अद्‌भुत दशा है। कर्म किए विना फलभोग की आकांक्षा ही धूर्तता को जन्म देती है, जो मूर्ख मनुष्यों को पशुओं की भाँति अपने दृश्य अथवा अदृश्य बन्धनों में बाँधकर षड्‌यन्त्रपूर्वक पंचकूटनीतियों का सहारा लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र को वीभत्स बना डालते हैं। इस जाल को वैज्ञानिक एवं दार्शनिक शस्त्रों एवं शास्त्रों से काटकर सम्पूर्ण राष्ट्र को मुक्ति प्रदान करी जा सकती है। वास्तव में मूर्ख और धूर्त दोनों ही एक-दूसरे के लिए दुःखद सिद्ध होते हैं, अतः इन मूर्खों और धूर्तों के समाज में कभी सुख-शान्ति का वातावरण उत्पन्न नहीं होता, बल्कि चारों ओर दुःख, तनाव, भय, शंका, भ्रष्टाचार, आतंक, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, शोषण, बलात्कार, उपद्रव, दंगा, युद्ध जैसी वीभत्स परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं। किन्तु जो लोग इस मूर्खता और धूर्तता के चंगुल से निकलकर बुद्धिमत्तापूर्वक सत्-असत्, सही-गलत, शुभ-अशुभ, समुचित-अनुचित का निर्णय करने अथवा कराने में समर्थ होने लगते हैं, वे शुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित आचार-व्यवहार के नियमों, नीतियों, निर्णयों को अपनाकर एक सभ्य समाज एवं सभ्य राष्ट्र की प्रतिष्ठा करते हैं, तथा मूर्खों को सहायता एवं धूर्तों को दण्डोपचार द्वारा नियन्त्रित करके सुखशान्ति का वातावरण उत्पन्न करते हैं।*

प्रश्न-26 : क्या वास्तव में संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली किसी भी राष्ट्र में लागू हो सकती है?

उत्तर-26 : *ऐसा कोई भी संप्रभु राष्ट्र जो अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार धारण करता है, उस राष्ट्र में यह मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली तत्काल प्रभाव से लागू हो सकती है। उस राष्ट्र के वित्तमंत्रालय की ओर से अधिकृत संस्थान अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा यह मौद्रिक तरलीकरण की नीति तुरन्त अपनाई जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। भारतसहित सम्पूर्ण विश्व के किसी भी राष्ट्र में यह मौद्रिक तरलीकरण की प्रक्रिया बड़ी ही सरलतापूर्वक संचालित करी जा सकती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात इतनी है कि यह तरलीकरण की प्रक्रिया सदैव संतुलित बनी रहे, अर्थात् प्रत्याभूत संपत्ति के बाजारमूल्य के समतुल्य मौद्रिक धनराशि सुलभ करायी जाती रहे तथा इस संतुलन को सदैव बनाए रखा जाए, जिससे कि मुद्रास्फीति अथवा मुद्रासंकुचन की परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों।*

प्रश्न-27 : इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त की गई तरल मुद्रा का सदुपयोग किसप्रकार किया जा सकता है?

उत्तर-27 : *इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार, संस्था या कोई भी नागरिक अपनी किसी भी मूल्यवान स्थूल सम्पदा को तरलीकृत करा सकता है। तरलीकरण के पश्चात् प्राप्त की गई धनराशि का सदुपयोग किया जा सके, तो आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। यदि इस तरलीकृत धनराशि को उत्पादक एवं लाभदायक उद्यमों में लगाया जाए, तो इससे प्रत्याभूत सम्पत्ति सुरक्षित बनी रहेगी, तथा आर्थिक समृद्धि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तरलीकृत धनराशि प्राप्त करनेवालों को यह सावधानी वर्तनी चाहिए कि तरलीकृत धनराशि का सदुपयोग हो, उसे क्षीण होने से बचाया जाए, जिससे कि प्रत्याभूत सम्पदा बनी रहे। अन्यथा तरलीकृत ध नराशि की वसूली हेतु सम्पदा के नीलाम होने की आशंका उत्पन्न होगी। इसका उत्तरदायित्व तरलता प्राप्त करनेवाले हितग्राही पर होगा। यदि वह इसका सदुपयोग लाभदायक उद्देश्यों के लिए नहीं करता, तो उसका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। मौद्रिक संस्थान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।*

प्रश्न-28 : क्या चोर, उचक्के, दुष्ट एवं अपराधी लोग इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का दुरुपयोग नहीं करेंगे?

उत्तर-28 : *इस तरलीकरण प्रणाली का दुरुपयोग किसी के द्वारा भी संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत किया जानेवाला तरलीकरण प्रत्याभूत (Secured) होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा सत्ता जब किसी 'मुद्राप्रचालन संस्थान' से मौद्रिक तरलीकरण प्राप्त करके उसका विनियोग किसी उत्पादक या लाभदायक उद्यम में नहीं करता, बल्कि उस धनराशि का अपव्यय करके उसे नष्ट करता है, तो मुद्रानिगमन संस्थान को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह उसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्याभूत सम्पदा (Secured Property) को नीलाम करके आवश्यक धनराशि प्राप्त करे। अतः यदि कोई प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग या नाश करता है, तो वह स्वयं हानि को प्राप्त होगा। स्पष्ट है कि इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली का दुरुपयोग संभव नहीं है।*

प्रश्न-29 : क्या इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्पदा को प्रत्याभूत करके तरलीकृत धनराशि प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों की सम्पदा का स्वामित्व और उपयोग का अधिकार मौद्रिक संस्थान को प्राप्त हो जाएगा? अथवा यह अधिकार प्रत्याभूत सम्पदा के मूल स्वामी के पास ही रहेगा?

उत्तर-29 : *इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली कोई भी सम्पदा पर स्वामित्व और उसके उपयोग का अधिकार उसके मूल स्वामी के पास ही बना रहेगा। प्रतिभूति को प्रमाणित करने के लिए केवल एक सहमतिपत्र (Agreement Letter) लिखकर दिया जाएगा, जिसकी एक-एक प्रतियाँ दोनों पक्षकारों के पास सुरक्षित रहेंगी। इस सहमतिपत्र में यह शर्त उल्लिखित होगी कि यदि तरलीकृत धनराशि के प्राप्तकर्ता द्वारा इस सम्पत्ति का किसी भी रूप में हस्तांतरण अथवा बिक्रय किया जाए, तो मौद्रिक संस्थान को यह अधिकार होगा कि उस प्रत्याभूत सम्पदा के बदले में जारी की गई तरलीकृत धनराशि की वसूली कर सके। उदाहरणार्थ- यदि प्रत्याभूत सम्पत्ति के मूल स्वामी द्वारा उस सम्पदा का बिक्रय 3 लाख रुपये में किया जाता है, जिस पर 2 लाख रुपये का तरलीकरण प्राप्त किया गया हो, तो उस सम्पत्ति के बिक्रय द्वारा प्राप्त 3 लाख रुपये में से मौद्रिक संस्थान को 2 लाख रुपये की*

वसूली का अधिकार होगा, तथा शेष 1 लाख रुपये की राशि सम्पत्ति के मूल स्वामी को प्राप्त होगी। इसीप्रकार से प्रत्याभूत सम्पदा के उपयोग का अधिकार भी पूर्णतः सम्पदा के मूल स्वामी के पास ही सुरक्षित रहेगा, तथा उस सम्पदा के उपयोग द्वारा जो कुछ भी आय प्राप्त होगी, उस पर भी सम्पदा के मूल स्वामी का अधिकार होगा। यदि प्रत्याभूत सम्पदा के बाजारमूल्य में कोई ह्रास या गिरावट आती है, जिससे उस सम्पदा का मूल्य तरलीकृत धनराशि से न्यूनता की ओर जाने की संभावना से युक्त होता है, तो उस संभावित मूल्यह्रास के समतुल्य राशि की वसूली का अधिकार मौद्रिक संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रश्न-30 : इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के अन्तर्गत किसी सम्पदा को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने की विधि क्या होगी, जिससे कि मौद्रिक संस्थान को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े?

उत्तर-30 : *किसी सम्पदा का तरलीकरण करते समय मौद्रिक संस्थान द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि सम्पदा मूल्यह्रास की प्रकृति वाली है अथवा मूल्यवृद्धि की प्रकृति वाली है ? अथवा उस सम्पदा का मूल्य सदैव या दीर्घकाल तक स्थिर रहेगा। सम्पत्ति की प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात् ही सम्पत्ति को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करके उसके तरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि सम्पत्ति की प्रकृति दीर्घकालिक रूप से सम रहती है, तो उस काल तक के लिए तरलीकरण किए जाने पर उस सम्पदा के बाजारमूल्य के समतुल्य राशि तक तरलीकरण किया जा सकता है। किन्तु यदि प्रत्याभूत सम्पदा की प्रकृति मूल्यह्रास वाली है, तो संभावित मूल्यह्रास की राशि को घटाकर तरलीकरण की राशि का निर्धारण किया जाएगा, तथा प्रतिवर्ष या प्रतिमाह संभावित ह्रास की राशि को किश्त के रूप में वसूली का प्रावधान भी किया जाएगा, जिससे कि मौद्रिक संस्थान को किसी भी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। किन्तु यदि तरलीकरण हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत सम्पदा की प्रकृति मूल्यवृद्धि वाली है, तो उस सम्पदा के तात्कालिक बाजारमूल्य के समतुल्य राशि तक तरलीकरण किया जा सकता है, तथा भविष्य में उस सम्पदा के बाजारमूल्य में होनेवाली वृद्धि की सीमा तक आगे भी अतिरिक्त तरलीकरण की राशि स्वीकृत करी जा सकेगी। सममूल्य अथवा मूल्यवृद्धि की प्रकृतिवाली सम्पदाओं के बिक्रय अथवा स्वामित्व के हस्तांतरण के समय ही मौद्रिक संस्थान द्वारा तरलीकृत राशि की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करी जाएगी।*

प्रश्न-31 : तरलीकरण प्राप्त करनेवाला ग्राहक यह धनराशि उस मौद्रिक संस्थान को वापस क्यों करेगा? और यदि ग्राहक तरलीकृत धनराशि की वापसी नहीं करेगा, तो क्या मौद्रिक संस्थान या सरकार को हानि नहीं होगी?

उत्तर-31 : *तरलीकृत धनराशि किसी ग्राहक द्वारा तब तक वापस करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि प्रत्याभूत सम्पदा का बाजारमूल्य तरलीकृत राशि से न्यून होने की संभावना नहीं होती। यदि मौद्रिक संस्थान को यह प्रतीत होता है कि प्रत्याभूत सम्पदा का मूल्य गिरने की संभावना है, तो उस संभावित राशि की वसूली का अधिकार मौद्रिक संस्थान को प्राप्त होता है। तरलीकरण सम्बन्धी सहमतिपत्र में ऐसे अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख मौद्रिक संस्थान के पक्ष में किया जाना आवश्यक होता है। किन्तु यदि प्रत्याभूत सम्पदा के मूल्य में किसी गिरावट की कोई संभावना नहीं है, तो तरलीकृत धनराशि की वापसी आवश्यक नहीं रहती। प्रत्याभूत सम्पदा के हस्तांतरण अथवा बिक्रय की अवस्था में ही तरलीकृत धनराशि मौद्रिक संस्थान को वापस करी जाएगी। इसका प्रावधान भी तरलीकरण सहमतिपत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक होगा।*

प्रश्न-32 : यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली यदि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं उत्थान में इतनी अधिक सहायक है, तो आज की तथाकथित विकासवादी राष्ट्रीय सरकारों ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया? तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक विकास को अनावश्यक रूप से क्यों अवरुद्ध किए हुए हैं?

उत्तर-32 : *सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली जो भी राष्ट्र अपना सकेगा, वह आर्थिक विकास के चरमोत्कर्ष को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। वह आर्थिक विकास की साम्यावस्था तक बड़ी तीव्र गति से जा पहुँचेगा। हजारों वर्षों का आर्थिक विकास चंद वर्षों में ही हस्तगत हो जाएगा, इस बात पर किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को कोई शंका नहीं हो सकती, यदि वह इस तरलीकरण प्रणाली को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ ले। अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीय सरकारों ने इसे लागू क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य में पहले तो अज्ञान की समस्या होती है। जब तक न्यूटन जैसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के शिर पर सेब नहीं गिरता, तब तक कितने ही साधारण शिरों पर गिरनेवाले नारियलों से भी कोई विशेष ज्ञान का प्रकाश नहीं उभर पाता। किन्तु एक बार जिस सत्य का उद्‌घाटन हो जाता है, वह बड़ी सरलतापूर्वक पूरे संसार के साधारण बुद्धिसम्पन्नजनों के भी बोध का विषय हो जाता है, और वे इसे जानने-समझने में सहज ही सफल हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि कुराज्य के भूखे भेड़ियों द्वारा जानबूझकर भी इस मौद्रिक नीति की उपेक्षा करी गयी हो। इसकी संभावना कम है, क्योंकि कोई कितना भी धूर्त और मक्कार हो, वह इतने विशाल जनसमुदाय को दरिद्रता के दुःख में नहीं धकेल सकता। अतः हमें इनकी मूर्खता या अज्ञान को ही इसका मूल कारण मानना चाहिए। जब तक राष्ट्र में सुपात्र व्यक्तियों का नेतृत्व और प्रशासन प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक किसी भी राष्ट्र में सकारात्मक न्यायशील नीतियों का प्रकाशन एवं परिपालन नहीं हो पाता। अतः आवश्यक है कि आज के सुपात्र, सुशिक्षित एवं प्रबुद्ध समाज में इस न्यायशील मौद्रिक नीति का प्रचार-प्रसार किया जाए, तथा विश्व के सभी राष्ट्रों के नेतृत्व के समक्ष इन नीतियों को प्रस्तुत किया जाए, ताकि वे इसे प्रकाशित एवं परिपालित कर सकें, जिससे कि सम्पूर्ण राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। साथ ही समाज एवं राष्ट्र में पात्रतानुसार पदनियुक्ति की व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने का अभियान भी चलाया जाए।*

प्रश्न-33 : क्या यह संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली समाज या राष्ट्र में फैली हुई मौद्रिक व्याजप्रथा को भी समाप्त करने में सहायक हो सकती है?

उत्तर-33 : *यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली के द्वारा राष्ट्र में मुद्रा की दुर्लभता की समस्या का समाधान होगा। मुद्रा की दुर्लभता वह भयंकर संकट है, जो किसी राष्ट्र के आर्थिक कुनीतिकारों द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है, ताकि मुद्रा को भारी व्याजादि की शर्तों पर जनसामान्य को उपलब्ध कराने के षड़यन्त्र में सफलता प्राप्त हो सके और उनके द्वारा ऋण पर लाभ या व्याज के रूप में प्राप्त की गई मौद्रिक पूँजी का पुनः-पुनः विनियोग करते हुए उन परिश्रमपूर्वक चलाए जा रहे उद्यमों द्वारा उपार्जित आय के अधिकांश भाग को इस कुनीति के कुशस्त्र से खींचकर अपने खातों में जमा किया जा सके। वास्तव में श्रम के शोषण का षड़यन्त्र ही मौद्रिक दुर्लभता के संकट को जानबूझकर उत्पन्न किए जाने का मूल कारण है। श्रम का शोषण करने के लिए ही कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मौद्रिक दुर्लभता का संकट राष्ट्र में जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है। इस भयंकर षड़यन्त्र को न*

*समझ पाने के कारण ही जनसाधारण को आजीवन कमरतोड़ परिश्रम करके भी जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सुलभता नहीं हो पाती। ऐसी षड़यन्त्रमयी अर्थव्यवस्था में परिश्रम करनेवाले अधिकांश लोग निर्धन रहते हैं एवं परिश्रम न करनेवाले लोग धनवान बने रहते हैं। प्रसिद्ध है–**'कर्मठ हो निर्धन जहाँ, अकर्मण्य धनवान। तब जानो उस राष्ट्र का, दूषित अर्थविधान॥'** किन्तु जिस राष्ट्र की आर्थिक नीति सकारात्मक होती है, वहाँ पर श्रम के अनुपात में ही समृद्धि संभव होती है। वहाँ पर अकर्मण्यों एवं श्रमहीनों को समृद्धि के अवसर प्राप्त नहीं होते, तथा कर्मठों को दरिद्रता नहीं झेलनी पड़ती।*

प्रश्न-34 : जिस राष्ट्र के राजनेता दुष्ट हों, वहाँ पर यह मौद्रिक नीति अपने सात्त्विक एवं न्यायशील रूप में कैसे लागू हो सकेगी?

उत्तर-34 : *विश्व के सभी राष्ट्रों में राजनेता समान रूप से दुष्ट नहीं हैं। आज संसार में लगभग 200 से भी अधिक राष्ट्र हैं। इन सभी राष्ट्रों की सरकारें अलग-अलग हैं, तथा इन सभी सरकारों की अपनी-अपनी प्रभुसत्ता है। प्रत्येक प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र की अपनी 'मुद्रा' है। किन्तु वर्तमान विश्व के किसी भी राष्ट्र में अभी तक आंकिक मुद्रा प्रणाली (**Digital Currency System**) एवं मौद्रिक व्यवहार में लेखांकन पद्धति (**Accounting Method**) लागू नहीं है, जबकि मौद्रिक लेखांकन पद्धति ही एकमात्र शुद्ध मुद्राप्रचालन पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति के प्रयोग से किसी भी प्रकार का मौद्रिक अपराध नियन्त्रित हो जाता है। यह मौद्रिक लेखांकन पद्धति पूर्णतः पारदर्शी एवं प्रामाणिक है, जो सभी प्रकार के मौद्रिक अपराधों को नियन्त्रित करने में पूर्ण समर्थ है। मूर्खों और धूर्तों को छोड़कर यह बात संसार का प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी भलीभाँति समझ सकता है। धूर्तों की संख्या 1% से अधिक नहीं है। किन्तु शिक्षा की सुलभता न होने के कारण अधिकांश राष्ट्रों की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित या अल्पशिक्षित बनी हुई है। यही उनकी मूर्खता का मूल कारण है। कुशिक्षित लोग धूर्त हो जाते हैं, अशिक्षित या अल्पशिक्षित लोग मूर्ख हो जाते हैं। शुद्ध शिक्षा-संस्कारिता के अभाव में ही समाज या राष्ट्र में मूर्खता एवं धूर्तता का वातावरण उत्पन्न होता है। इनमें से धूर्त लोग ही समाज के अन्य साधारण जनों या मूर्ख लोगों को दास बनाए रखने के लिए दूषित मौद्रिक नीति लागू किए रहते हैं, जिससे साधारण जनता को गरीब, दरिद्र, असहाय बनाए रखते हुए उनका शोषण कर सकें। धूर्तों की यह दैत्यवृत्ति उन्हें दूसरों का शोषण करने की प्रेरणा देती है। किन्तु अब विश्वमानवसमाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जिससे मनुष्यों के मनोबुद्धि का विकास होने लगा है। अब वे हित-अहित, उचित-अनुचित, सत्-असत् का निर्णय करने में समर्थ होने लगे हैं। अतः अपने हिताधिकारों और धूर्तों के षड़यन्त्रों को समझने की सामर्थ्य का विकास जनसाधारण के मस्तिष्क में प्रकाशित होने लगा है, तथा ऐसे लोगों की सख्या बढ़ रही है। लोकजीवन में अब ऐसे सकारात्मक बुद्धि के लोगों का बहुमत सिद्ध होने की स्थिति आ गई है, अतः धूर्तों की धूर्तता या दुष्टों की दुष्टता को राष्ट्र या समाज पर अपना अधिपत्य जमाए रखने के अवसर अब क्षीण होने लगे हैं। अब लोकमत सत्यात्मक एवं यथार्थ न्यायशील अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नीतियों के लिए स्वतः निर्मित होने लगा है। न्यायशील नीतियों की समझ और स्वीकारोक्ति समाज में बढ़ रही है। समाज से ही राष्ट्र का जन्म होता है। अतः समाज की यह प्रबुद्धता और भावप्रवणता सत्यात्मक न्यायशीलता के पक्ष में खड़ी होती जा रही है। यह बात **'न्याय धर्म सभा'** द्वारा न्याय के पक्ष में जनमतसंग्रह अभियान (2006) द्वारा प्रमाणित भी हुई है। अतः न्यायधर्म का सूर्योदय हमारे समाज एवं राष्ट्र में अतिशीघ्र ही होनेवाला है।*

प्रश्न-35 : क्या न्यायधर्मसभा लोकतन्त्र में विश्वास करती है? और लोकमत के द्वारा ही इन नीतियों को लागू करना चाहती है?

उत्तर-35 : *न्यायधर्मसभा पूर्णतः लोकतन्त्र में विश्वास करती है, बल्कि लोकतन्त्र को गुणात्मक बनाए जाने का भी प्रतिपादन करती है। गुणात्मक लोकतन्त्र में लोकमत सिद्ध करने से पूर्व पात्रतापरीक्षण की आवश्यकता होती है। परीक्षणों द्वारा सुपात्र सिद्ध होने पर ही लोकमत प्राप्ति हेतु चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित होने का समर्थन करती है। पात्रतानुसार पदनियुक्ति की व्यवस्था ही न्यायशील हो सकती है। पात्रता की उपेक्षा करके न्यायशीलता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अपात्र व्यक्ति पद के कार्यभार को सफलतापूर्वक वहन नहीं कर सकते। अतः विश्व के सभी राष्ट्रों को गुणात्मक लोकतन्त्र की आवश्यकता है।*

विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतन्त्र है, जिसमें लोकमत के आधार पर ही सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था बनती और चलती है। 'लोक' शब्द का अभिप्राय 'सार्वजनिक' से है। 'सार्वजनिक' शब्द का अभिप्राय राष्ट्र के उन सभी नागरिकों से है, जो उसमें निवास करते हैं। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा ही इस लोकतन्त्र का उद्देश्य होता है। सर्वता के विना सत्य सिद्ध नहीं होता। सर्वव्यापकता की सत्य की परिभाषा है। सत्यात्मक न्यायशीलता में सर्वहितकारिता का लक्षण अनिवार्य है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हिताधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से परिकल्पित लोकतन्त्र लोकमत की अपेक्षा रखता है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी लोकतन्त्र होने के कारण लोकमत के आधार पर आर्थिक नीतियों का प्रतिष्ठापन संभव है। अतः न्यायशील अर्थव्यवस्था को राष्ट्र में प्रतिष्ठित करने के लिए लोकमत संग्रह का अभियान न्यायधर्मसभा द्वारा जनवरी, 2006 से ही संचालित किया जा रहा है। न्यायशील मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली सहित अन्य मौद्रिक नीतियाँ भी भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। अतः राष्ट्र की समस्त आर्थिक नीतियों को प्रतिष्ठित करने के लिए लोकमतसंग्रह का ही अवलम्बन लिया जा रहा है। इसके लिए न्यायधर्मसभा द्वारा खुली आनलाइन वोटरमेम्बरशिप वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राष्ट्र के जो नागरिक इन आर्थिक या मौद्रिक नीतियों से सहमत हैं, वे वोटरमेम्बरशिप प्राप्त करके न्यायधर्मसभा के पक्ष में अपना स्पष्ट मत व्यक्त करें। यह वोटरमेम्बरशिप का अभियान खुले मतदान की प्रक्रिया है। न्यायधर्मसभा द्वारा 'मतदाता सदस्यता अभियान' देश के न्यूनतम 51% मतसंग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने तक संचालित किया जाएगा। मतदान 50% से अधिक होने पर न्यायध र्मसभा द्वारा प्रकाशित इन आर्थिक नीतियों के पक्ष में लोकतान्त्रिक बहुमत सिद्ध हो जाएगा। इस बहुमत को चुनाव आयोग एवं सुप्रीमकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके इन नीतियों को लागू करने का आग्रह सरकार से किया जाएगा। इन नीतियों के पक्ष में बहुमत सिद्ध होने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि राष्ट्रीय सरकार अल्पमत में है, और यदि वह इस लोकमत से सहमत नहीं होती, तो उसे पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा। इसप्रकार से न्यायधर्मसभा इस खुली एवं प्रामाणिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से इन नीतियों को लागू करने का प्रयास कर रही है। लोकतान्त्रिक राष्ट्र में लोकमत ही सर्वोपरि होता है। लोकमत के विपरीत खड़ी हुई कोई भी संसद या सरकार स्वयं को नैतिक नहीं प्रमाणित कर सकती। अतः अनैतिक सरकार को हटाने के लिए जनता को स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाएगा। गुप्त मतदान की प्रक्रिया में छल, कपट, षड़यन्त्र, धोखा, बूथकैप्चरिंग आदि जोखिम विद्यमान रहते हैं, जिससे वास्तविक लोकमत प्रमाणित नहीं हो पाता। अतः न्यायधर्मसभा खुले मतदान की प्रक्रिया द्वारा ही स्वच्छ लोकतन्त्र का समर्थन करती है, क्योंकि गुप्त मतदान सदैव संदिग्ध है। शंकाग्रस्त मतदान से अधिक अच्छा है– खुला मतदान।

प्रश्न-36 : 'न्याय धर्म सभा' हरिद्वार इस न्यायशील मौद्रिक प्रणाली को लागू करने के लिए क्या उपाय कर रही है? इस अभियान की पृष्ठभूमि क्या है?

उत्तर-36 : *हमारे द्वारा धर्मस्थापना अभियान 25 सितम्बर, 1990 को जबलपुर, मध यप्रदेश से प्रारम्भ किया गया था। लगभग एक दशक तक जनजागरण अभियान चालाया गया। इसके लिए देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक सभाएँ सम्बोधित करी गयीं। इसी दौरान धर्मसंस्थापन कार्य हेतु कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्य भी चलता रहा। दिनांक 25 जनवरी, 1999 को* ***'धर्म संस्थापक संघ'*** *का गठन किया गया। प्राचीन दार्शनिक एवं आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रतिपादित सत्-सिद्धान्त पर आधारित शाश्वत एवं सनातन धर्म की संप्रतिष्ठा का यह अभियान क्रमशः विगत 22 वर्षों से निरन्तर गतिमान है। दिनांक 01 जनवरी, 2001 को इस सत्धर्म में जनसमाज का प्रवेश प्रारम्भ हुआ। सत्-सिद्धान्त द्वारा प्रणीत सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य की प्रतिष्ठा का यह सात्त्विक एवं पावन अभियान दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को वैधानिक ढंग से ट्रस्ट के रूप में* ***'धर्म संस्थापक संघ'*** *को रजिस्टर्ड कराया गया।* ***'न्याय धर्म सभा'*** *इसी 'धर्म संस्थापक संघ' की एक इकाई है। 'न्याय धर्म सभा' की स्थापना का मूल उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र में न्याय के सत्यात्मक एवं यथार्थ स्वरूप की प्रतिष्ठा करना है। 'न्याय' ही समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक 'धर्म' है। न्याय के विना कोई भी समाज या राष्ट्र सुव्यवस्थित, समृद्ध, सुखी एवं स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी न्याय की स्थापना हेतु संचालित अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 को* ***'न्याय धर्म सभा'*** *हरिद्वार की ओर से राष्ट्रीय नागरिकों के लिए शिक्षा, जीविका, सुविधा एवं संरक्षण प्राप्ति के 4 जनाधि ाकारों की घोषणा करी गई। इन चारों मूलभूत जनाधिकारों को प्रतिष्ठित करने एवं उसे सम्वैधानिक दर्जा प्रदान करवाने के लिए 08 जनवरी, 2006 को 'जनमतसंग्रह अभियान' प्रारम्भ किया गया। 'न्याय धर्म सभा' द्वारा जनमतसंग्रह के लिए कई टीमों का गठन करके हरिद्वार सहित देश के कई भागों में जनमतसंग्रह का कार्य संपन्न हुआ। यह एक प्रकार का लोकमत सर्वेक्षण भी था। इससे यह स्पष्ट जानकारी प्रामाणिक रूप से उभरकर सामने आयी कि देश के लगभग 99% से भी अधिक लोग इन चारों न्यायशील जनाधिकारों से सहमत हैं। इस राष्ट्रीय न्यायशीलता के प्रतिपादन से असहमत होनेवालों की संख्या नगण्य है। साधारण शब्दों में कहा जाए, तो सम्पूर्ण विश्व की मानवता इस न्यायशीलता से सहमत है, और सम्पूर्ण विश्व को एक न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र (Universal Nation) के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इस बीच 01 जनवरी, 2006 को 'न्याय धर्म सभा' की ओर से एक विशाल न्यायसम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के साधारण नागरिकों के साथ-साथ अनेक बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं सन्तों की उपस्थिति सराहनीय रही। इसी 'न्याय सम्मेलन' में चारों जनाधिकारों की घोषणा करने के पश्चात् इनको परिभाषित करते हुए एवं इनके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया गया, जिसे पुस्तिका के रूप में संघ की ओर से प्रकाशित भी किया गया है। पुनः 01 जनवरी, 2007 को द्वितीय न्यायसम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य नागरिक एवं सन्त-महात्मा उपस्थित हुए। संघ से जुड़े हुए अनेक सज्जनोचित लोग देश के कई भागों से सम्मेलन में पधारे। जनवरी 1999 से दिसम्बर 2010 तक लगातार सद्ग्रन्थों के प्रतिपादन में अधिकांश समय नियोजित हुआ। पुनः 01 जनवरी, 2011 को तृतीय*

*'न्यायसम्मेलन' आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई भागों से जुड़े हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इस तृतीय न्यायसम्मेलन में न्यायस्थापना अभियान को सार्वजनिक रूप से संचालित करने की घोषणा करी गई। दिनांक 20 मार्च, 2011 को एक विशेष सभा आमंत्रित की गयी, जिसमें विश्व के 200 से भी अधिक राष्ट्रों को मिलाकर एक न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र की स्थापना हेतु उसकी नागरिक सदस्यता का अभियान प्रारम्भ किया गया, तथा उस सार्वभौमिक राष्ट्र की एक वेबसाइट भी निगमित की गयी। इस सार्वभौमिक राष्ट्र की सम्वैधानिक संरचना पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित करी गयी। शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण आदि चारों जनसेवाओं को सामाजिक रूप से सुलभ कराने के लिए विद्यायोजना, उद्यमयोजना, ग्रामयोजना एवं स्वस्तियोजना को क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। इन चारों सेवाओं को संचालित करने के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत **'सत्धर्म सेवा संस्थान'** के नाम से एक ऐसी कम्पनी की स्थापना की गई, जो **'धर्म संस्थापक संघ'** के 9वें उद्देश्य की पूर्ति कर सके, जिसमें चारों मानवीय पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इन चारों पुरुषार्थों द्वारा ही गुण, धन, सुख, स्वास्थ्य प्राप्ति के मानवाधिकारों का प्रतिपादन होता है, तथा इन्हीं चारों मानवाधिकारों की सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण आदि के रूप में चार जनाधिकारों का प्रतिपादन होता है। इन चारों मानवाधिकारों एवं चारों जनाधिकारों की संप्रतिष्ठा के लिए सत्धर्म सेवा संस्थान द्वारा सन् 2011 में एक निःशुल्क विद्यालय का शुभारम्भ किया गया, जिसका नाम **'सत्धर्म विद्यालय'** रखा गया। इस विद्यालय में 300 से भी अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। इस विद्यालय में सम्पूर्ण शिक्षा–प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान की ओर से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप करी जा रही है। जीविका सुलभ कराने तथा अन्य मौद्रिक समस्याओं को दूर करने तथा समाज में व्याप्त भयंकर शोषणकारी मौद्रिक व्याजप्रथा को समाप्त करने के लिए 10–10–2011 को **'सत्धर्म फायनेन्शियल सर्विस'** के नाम से एक मौद्रिक संस्था का शुभारम्भ किया गया, जो निर्व्याज ऋणसेवा प्रदान करने के लिए तभी से निरन्तर कार्यरत है। यह निर्व्याज ऋणसेवा मानवसमाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसप्रकार से शिक्षा एवं जीविका सुलभ कराने के दोनों प्रयासों का शुभारम्भ सत्धर्म सेवा संस्थान की ओर से हो चुका है, और वर्तमान में लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। शीघ्र ही कृषिसेवा आदि के माध्यम से रोजगार के नये अवसरों को जन्म देने हेतु सहकारी प्रणाली अपनाये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में हमारे द्वारा न्यायशील अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया गया, जिसमें अर्थशास्त्र के न्यायशील सिद्धान्तों को प्रकाशित किया गया। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के न्यायशील स्वरूप का प्रतिपादन समाहित किया गया, तथा अर्थव्यवस्था की पाँचों आर्थिक क्रियाओं के न्यायशील स्वरूप का परिचय दिया गया। न्यायधर्मसभा, हरिद्वार की ओर से दिनांक 15 अगस्त, 2012 को उसी न्यायशील अर्थशास्त्र में वर्णित मौद्रिक नीति के अन्तर्गत **'आंकिक मुद्रा प्रणाली'** (Digital Currency System) को राष्ट्रीय व्यवस्था में लागू करने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री मनमोहनसिंह एवं अन्य 12 महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों जिसमें वित्तमन्त्री, राष्ट्रपति, रिजर्वबैंक गवर्नर, योजनाआयोग के उपाध्यक्ष एवं सुविख्यात समाजसेवी श्री अन्नाहजारे, श्री केजरीवाल, सुश्री किरनबेदी, बाबा रामदेव एवं आरएसएस कार्यकर्ता श्री अनिलवर्मा आदि को रजिस्टर्ड*

पत्र भेजकर यह निवेदन प्रस्तुत किया गया कि ***भ्रष्टाचार, कालाधन, नकलीमुद्रा, टैक्सचोरी एवं अन्य मौद्रिक अपराधों*** *को 100% समाप्त करने के लिए इस सुनिश्चित उपाय को यथाशीघ्र राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में समाहित करें, जिससे कि राष्ट्र में व्याप्त भयंकर मौद्रिक अपराधों को समाप्त किया जा सके, क्योंकि प्रायः भारत सहित सम्पूर्ण विश्व इन पाँचों प्रकार के भयंकर मौद्रिक अपराधों से ग्रस्त एवं त्रस्त है। इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास कुंठित हो रहा है। इसके पश्चात् मौद्रिक नीति के द्वितीय अंग को भी राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में समाहित करने के लिए न्यायधर्मसभा की ओर से अक्टूबर, 2012 में मौद्रिक नीति पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जो धर्मसंस्थापकसंघ के उसी* ***'न्यायशील अर्थशास्त्र'*** *नामक ग्रन्थ पर आधारित है। इस पुस्तिका का नाम है–* ***'संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली'*** *(Balanced Monetary Liquidization System)। यह पुस्तिका मौद्रिक नीति के उस न्यायशील सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है, जिसके अनुसार किसी भी मूल्यवान स्थूल सम्पदा जिसका कोई बाजारमूल्य सिद्ध हो सके, उसके बाजारमूल्य के समकक्ष राशि तक तरलीकृत किया जा सकता है। इस सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या इस पुस्तिका में सुलभ है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को शुद्ध करके राष्ट्र के आर्थिक विकास की समस्त संभावनाओं को अल्पकाल में हस्तगत किया जा सकता है। इस संतुलित मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को अपनानेवाली राष्ट्रीय मौद्रिक नीति एक जादू की छड़ी की भाँति सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ईश्वर का वरदान सिद्ध हो सकती है, जो किसी भी राष्ट्र को विदेशी ऋणसंकट, विदेशी निवेशसंकट, देशी ऋणसंकट, देशी निवेशसंकट एवं अन्य मौद्रिक संकटों से छुटकारा दिलाने में पूर्णतः समर्थ है। यह किसी भी राष्ट्र को मौद्रिक रूप से स्वावलम्बी बनाती है, तथा उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करती है। इसके पश्चात् निर्भार मुद्राप्रचालन हेतु न्यायध र्मसभा की ओर से राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में न्यायशीलता की प्रतिष्ठा हेतु एक अद्भुत पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है, जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को शुद्ध करके न्यायशील बनाने में पूर्णतः समर्थ है। इस निर्भार मुद्राप्रचालन प्रणाली के अवलम्बन से समस्त प्रकार के मौद्रिक शोषणों का समापन हो जाता है। मौद्रिक शोषण से मुक्ति के लिए यह अचूक उपाय है। इस मौद्रिक नीति को अपनाकर कोई भी राष्ट्र सभ्य होने का गौरव प्राप्त कर सकता है। राष्ट्र से जंगलराज को समाप्त करके मंगलराज में प्रवेश हेतु उपरोक्त तीनों मौद्रिक नीतियाँ अत्यन्त प्रभावकारी हैं। राष्ट्रीय मौद्रिक नीति की शुद्धिकरण हेतु उनकी न्यायशीलता आवश्यक है। मौद्रिक नीतियों का यह न्यायशील प्रतिपादन 'न्यायधर्मसभा' की ओर से विश्व के समस्त राष्ट्रों के लिए ईश्वरीय वरदान की भाँति है। इन न्यायशील मौद्रिक नीतियों के प्रतिपादन के पश्चात् इनके प्रतिष्ठापन सम्बन्धी प्रयासों का संचालन भी न्यायधर्मसभा की ओर से किया जा रहा है।*

इन न्यायशील मौद्रिक नीतियों के प्रतिपादन एवं प्रतिष्ठापन के प्रयासों के अतिरिक्त न्यायधर्मसभा द्वारा राष्ट्रीय न्यायशीलता के रक्षणार्थ राजकोषीय नीति एवं सम्पदानीति के न्यायशील स्वरूप के प्रतिपादन एवं प्रतिष्ठापन सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को न्यायशील बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का न्यायशील होना आवश्यक है।

❀❀❀

वास्तविक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

(The Real National Freedom)

न्याय ही स्वतन्त्रता की नींव है। न्याय के विना कोई राष्ट्र स्वतन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे हिन्दुओं का राज्य हो, चाहे मुगलों का राज्य हो, चाहे अँग्रेजों का राज्य हो, चाहे काँग्रेसियों का राज्य हो, चाहे भाजपाइयों का राज्य हो, चाहे बसपाइयों, सपाइयों अथवा कम्युनिस्टों का राज्य हो, अथवा चाहे किसी अन्य पार्टी या पब्लिक का राज्य हो। यदि वह न्याय के समुचित हिताधिकारिता के सिद्धान्त को स्वीकार करके उसे व्यवहार में नहीं उतारता, और उसी न्याय की नींव पर राष्ट्रीय नियम, नीति, निर्णय का अस्तित्व नहीं बनाए रखता, तो वह सदैव राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को नष्ट करके जनता को दासता की हथकड़ियों, बेड़ियों में जकड़ देता है। दल, बल, छल से पदस्थ होनेवाली सत्ता कभी न्यायशील नहीं हो सकती और जो पदस्थ होकर न्यायशीलता के लक्षणों को प्रतिफलित नहीं करती, वह राजसत्ता निश्चय ही दल, बल या छल से सत्तारूढ़ हुई है, ऐसा सुनिश्चित जानना चाहिए। न्यायशील अर्थव्यवस्था ही न्यायशील राष्ट्र का लक्षण है। न्यायशीलता ही स्वतन्त्रता है। एक न्यायशील स्वतन्त्र राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के चार लक्षण होते हैं– 1) भूमि की स्वतन्त्रता, 2) मुद्रा की स्वतन्त्रता, 3) राजकोष की स्वतन्त्रता, 4) संविधान की स्वतन्त्रता।

*जिस राष्ट्र में भूमि पर लगान, टैक्स आदि प्रत्यारोपित है, वह राष्ट्र परतन्त्र है। जिस राष्ट्र में मुद्रा पर व्याज, शुल्क आदि प्रत्यारोपित है, वह राष्ट्र परतन्त्र है। जिस राष्ट्र में राजकोष पर स्वार्थ, लूट आदि प्रत्यारोपित है, वह राष्ट्र परतन्त्र है। जिस राष्ट्र में संविधान पर वैषम्य, पक्षपात आदि प्रत्यारोपित है, वह राष्ट्र परतन्त्र है। स्वतन्त्रता के चारों लक्षण यदि उपरोक्त प्रकार से विपरीत हैं, तो राष्ट्र में न्यायशीलता का अभाव सिद्ध होता है। वास्तव में न्याय ही स्वतन्त्रता है, अन्याय ही परतन्त्रता है। न्याय ही राष्ट्र का मौलिक धर्म है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि को कभी राष्ट्रीय धर्म की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। केवल न्याय ही राष्ट्र का शाश्वत एवं सनातन धर्म है–**'न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्।'** प्राचीन भारतीय नीतिवचन प्रसिद्ध है–**'आरम्भो न्याययुक्तो यः स धर्म इति स्मृतः। अन्यायस्तु अधर्मेति एतत् शिष्टानुशासनम्॥'** अर्थात् 'समाज या राष्ट्र में जो कुछ भी न्यायपूर्वक किया जाता है, केवल वही धर्म है। अन्याय को अधर्म कहते हैं, ऐसा शिष्टजनों का उपदेश है।' शिष्ट और भ्रष्ट दो प्रकार के लोग होते हैं। शिष्टजनों को सज्जन कहा जाता है, भ्रष्टजनों को दुर्जन कहा जाता है। सज्जनों को समाज एवं राष्ट्र में सदा न्याय ही प्रिय होता है, किन्तु दुर्जनों को अन्याय ही प्रिय होता है। न्यायप्रिय जनों को चाहिए कि वे एक ऐसे न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र **(Just Universal Nation)** की प्रतिष्ठा करें, जिसमें स्वतन्त्रता के उपरोक्त चारों लक्षण विद्यमान हों, तभी समृद्धि, सद्गुण, सम्बन्ध एवं समुन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, तथा चारों ओर सुख–शान्ति का वातावरण तभी प्रतिष्ठित होगा।*

❀❀❀

न्याय धर्म सभा

[illegible]

जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)-249408

फोन : 01334-244760

मो० : 09319960554

समाज एवं राष्ट्र में न्यायधर्म के संस्थापन एवं संरक्षण हेतु समर्पित एक संस्था

संदर्भ : 6/NDS/2012 दिनांक : 05-12-2012

BY REGISTERED A/D POST

To,
Shri Manmohan Singh Ji
Hon'ble Prime Minister
Government of India,
New Delhi.

Subject : *Request for launching 'Balanced Monetary Liquidization System' to remove Foreign Loan Crisis, Foreign Investment Crisis, Inland Loan Crisis, Inland Investment Crisis and other Monetary Crisis from the Nation by generating the Self Capital through 'Balanced Monetary Liquidization System'.*

Reference : *Our Registered Letter No. 23/2012-13 dated 13-08-2012 regarding Implementation of 'Digital Currency System' in the Nation to remove Corruption, Black Money, Fake Currency, Tax Losses and other Monetary Crimes.*

Respected Sir,

As we know that our Government is trying to bring Foreign Direct Investment (FDI) for the Economic Development of the Country, we also know that we are already under a heavy burden of Foreign Loans for which we are bound to pay a heavy amount of Interest on Loan every year. And also the FDI will withdraw a huge Profit Amount from our Economy. These Amounts of Interest on Loans and FDI Profit going outside the Nation, will surely create a Monetary Crisis in the Country. Whilst our Country is an Independent and a Sovereign Nation, so we have authority to issue our own Currency. And if a Just Monetary Policy can be adopted by us, then we will be able to fulfil our Monetary Capital needs. The Issuance of Currency, if can be based on the Principle of Justice, we can adopt a Balanced Liquidization System to get the sufficient liquidity for Investment without any FDI and Foreign Loans. Our Nation independently can fulfil its monetary needs by adopting this Balanced Liquidization System. A brief introduction of this System is being given below :-

1. *If our National Government may implement the Just Monetary Policy, there is no need to go for Foreign Loan or Foreign Direct Investment (FDI) etc. And also there is no need to search for the Inland Loan and Inland Investment from the common people, for which the Nation gets compelled to pay heavy interest & to loose profit on Business.*
2. *If the National Monetary Policy can be based on the Principle of Justice, the Balanced Monetary Liquidization System can easily be adopted by Government.*
3. *The Balanced Monetary Liquidization System means a System which has the capacity to liquidise all the Valuable Materialistic Properties which are having any market value. Either these Properties being owned by the Government or any Citizen. Both can liquidise their properties to fulfil their Monetary Capital needs.*
4. *Every Valuable Property may be liquidised by the Currency Issuing Authority like RBI or any other institution authorised by the Government for issuing National Currency.*
5. *In fact, there is no lack of Monetary Capital in a Sovereign Nation, which has authority to issue its own Currency. No Sovereign Nation requires to take the Loan and to pray for Investment from the others. A Sovereign Nation can be completely independent to stand up on his own legs regarding the Monetary Capital for Economic Development.*
6. *'Balanced Monetary Liquidization System' as explained in 'Just Economics' the book written by me, says that a Sovereign Nation is completely independent and has all the Monetary Powers to generate the Monetary Capital for its Economic Development.*
7. *The concept of 'Balanced Monetary Liquidization System' says that any requirement of Monetary Capital whether by Government or by any Citizen, can be fulfilled through this System by considering the Market Value of the Property proposed for the Liquidization. In this System, each and every valuable Property can be liquified by an amount of money equal to the Market Value of Property with consideration of fluctuation in Market Value.*

8. *In this System, nothing to care about Money Inflation. Principlely there is no chance of Inflation in this System. The real definition of Monetary Inflation is something different than the definition given by Traditional Economics, which is being taught in the course of study. The realistic definition says, if the Liquidisation Process issues more amount of money than the Market Value of Property proposed for liquidisation only can create Inflation. And in the same way Deflation can also be defined as-"If the amount of money issued by the Liquidisation Process, is lesser than the Market Value of Property proposed for liquidisation, it will create Deflation." Only these definitions of Inflation and Deflation can create the True and Real valuation of Commodities & Services in the Market.*

9. *Here, it is also to be explained that there should not be any imposition of Interest, Tax or Charges on liquidisation of Property. A completely Free Liquidisation System is to be adopted by the Institution authorized to issue Currency.*

10. *Although the Recovery of the Liquidized Money is compulsory within a certain period. But the period may have span to that extent until the proposed Property loses its Market Value for which it has been liquidized. If the Property doesn't lose its market value, there is no need to recover the amount of liquidity provided.*

11. *An Agreement is required to be signed between the Parties i.e. Property Owner and Liquidity Provider. And this Agreement will be kept as Security against the Amount of Liquidity being issued. The estimated decrease of Market Value of proposed Property will be the basic installment of recovery to be determined by the Liquidity issuing Authority or Institution. Here it is clear that this minimum determined amount of Installment will be compulsory for repayment. But other than this amount of Installment, the Property Owner will be free to have a choice to repay the liquidized amount in the form of any optional Installement Amount more than this minimum Installment Amount determined by the Institution. But he can't choose a lesser amount than the determined minimum installment amount.*

12. *This Monetary Institution will have to maintain a Debit/Credit Register and the Debit/Credit Pages of this Register will compulsorily be maintained balanced. The balance between the Debit side and Credit side will always be compulsory to get rid of the problems rising out in the form of Inflation and deflation. This Debit/Credit Balanced Register will control Inflation & Deflation and will create the True & Real pricing standard of Commodities & Services in the Market.*

*In above cited points, a brief Introduction of '**Balanced Monetary Liquidisation System**' has been mentioned. If required, we will manage to send the complete booklet on this System prescribed by us. We are a Social Religious Organization serving the Society & Nation positively and peacefully. We don't believe in protesting bad things, but we believe to do good things to remove the badness in Society & Nation.*

We therefore request you to please review the matter of FDI and Foreign Loans to avoid all types of Monetary Crisis in the Nation. We hope that you will consider this True & Real Monetary System and will do the needful early in the matter. This System will surely remove all the National & Social Monetary Crisis and will create the Monetary Funds as much as required by the Citizens and Governments for the Economic Development of Nation. This will help to solve the Problems of Unemployment, Poverty, Backwardness, Undevelopment, Lack of Funds for Investment etc. It will also end the requirement of Loans and Investments from Foreign or Inland Capitalists. This Monetary System will make the Nation self dependent to fulfil its Monetary Capital needs up to the Materialistic Property owned in form of Land, Building, Roads, Bridges, Forests, Rivers and all the Natural & Human created Resources. These all things can be liquidised by this Balanced Monetary Liquidisation System as may be required. This System can make possible Economic Development of thousand years only within a decade.

Please also give the response of this letter explaining your views and being taken steps on the subject.

Thanking you in anticipation!

Yours faithfully!

Arvind

Arvind 'Ankur'
(NYAY DHARM SABHA)
Jagjeetpur, Kankhal, Haridwar

CC :
1. **Shri Pranav Mukharjee**, Hon'ble President of India.
2. **Shri P Chidambaram**, Hon'ble Finance Minister of India.
3. **Shri D Subbarao**, Hon'ble Governor of Reserve Bank of India.
4. **Shri Montek Singh Ahluwalia**, Vice President of Planning Commission.
5. **Smt. Sonia Gandhi**, President Indian National Congress, India.
6. **Shri Nitin Gadkari**, President Bhartiya Janta Party, India.
7. **Shri Anna Hazare**, Social Activist, Ralegan Siddhi, Ambedkarnagar (Maharashtra).
8. **Shri Arvind Kejriwal**, Social Activist, India Against Corruption, Ghaziabad.
9. **Ms. Kiran Bedi**, Social Activist, India Against Corruption, Ghaziabad.
10. **Shri Manish Sisodia**, Social Activist, India Against Corruption, Ghaziabad.
11. **Baba Ramdev**, Patanjal Yogpeeth, Haridwar.
12. **Shri Anil Verma**, CA & Social Activist and RSS Volunteer, Haridwar.
13. **Shri Mohan Bhagwat**, Sar Sangh Chaalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Nagpur.
14. **Shri Pranav Pandya**, Chief of Gayatri Mission.
15. **Shri Narendra Modi**, Chief Minister, Gujrat, India.
16. **Shri Ram Mahesh Gupta**, Franchisee Head (India), Sudarshan TV Channel, A-88, Sec-4, Noida (UP).

Acknowledgement Received from Prime Minister's Office for the letter sent by us in respect of Monetary Liquidization System

ON POSTAL SERVICE

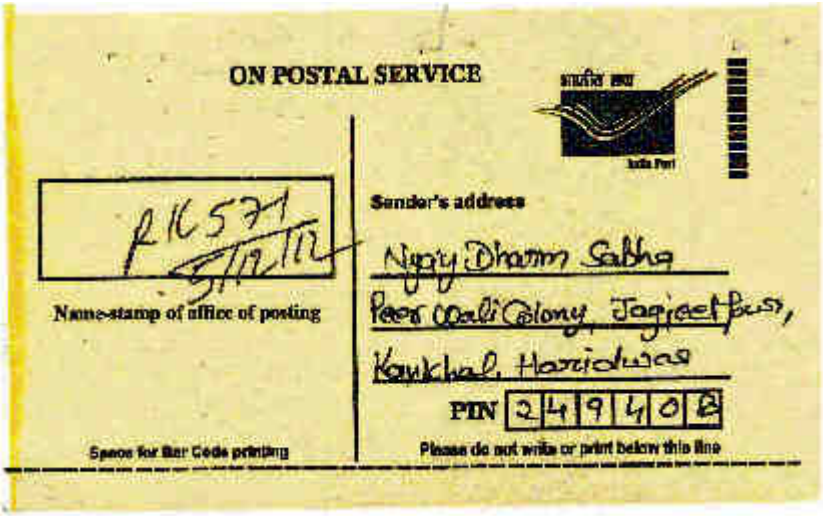

India Post

Name-stamp of office of posting

Sender's address

Nyay Dharm Sabha

Peer Wali Colony, Jagjeetpur,

Kankhal, Haridwar

PIN 2 4 9 4 0 8

Space for Bar Code printing

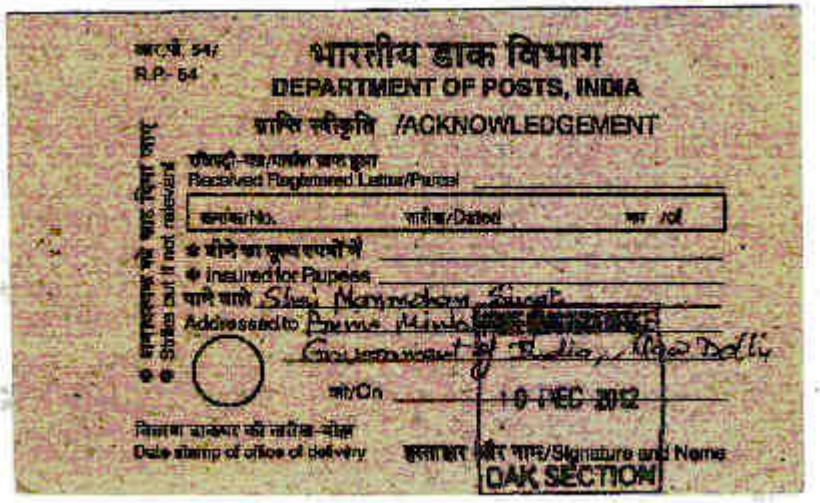

Please do not write or print below this line

R.P.-54

भारतीय डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA

/ACKNOWLEDGEMENT

Received Registered Letter/Parcel

No. Dated

Insured for Rupees

Shri Manmohan Singh

Addressed to Prime Minister

Government of India, New Delhi

On 1 0 DEC 2012

Date stamp of office of delivery

Signature and Name

DAK SECTION

Post Office Receipt for the Letter regarding Monetary Liquidization System sent by us to Prime Minister Shri Manmohan Singh

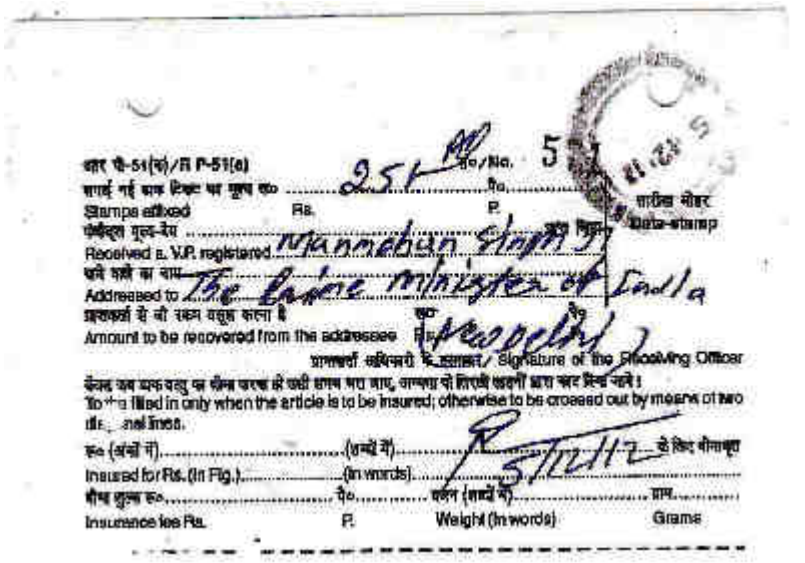

'न्यायः सद्भूतधर्मोऽस्ति'

आचारो न्याययुक्तो यः स धर्मः इति स्मृतः।
अनाचारस्त्वधर्मः इति एतच्छिष्टानुशासनम्॥

जो कार्य न्याययुक्त होता है, वही धर्म कहलाता है। अन्याय ही अधर्म है। यही शिष्टजनों का उपदेश है। (महाभारत)

प्रकाशक

धर्मसंस्थापकसंघ, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

प्रकाशन तिथि

15 फरवरी, 2010

कम्प्यूटरीकरण

मनोज

मुद्रक

धर्मसंस्थापकसंघ, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

निवेदन - कृपया न्यायस्थापना अभियान सम्बन्धी अधिक जानकारी एवं अभियान में सम्मिलित होने के लिए धर्मसंस्थापकसंघ के मुख्यालय से सम्पर्क करें, मिलें, हमारी वेबसाइट देखें, ईमेल करें, पत्र लिखें अथवा फोन करें।

फोन नं. : 01334-244760, मो. : 09319360554
वेबसाइट- www.dharmsansthapaksangh.org
ईमेल- info@dharmsansthapaksangh.org